लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
...gated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची CONTENTS

संख्या 3, बुधवार, 23 जुलाई, 1975/1 श्रावण, 1897 (शक)

No. 3, Wednesday, July 23, 1975/ Sravana 1, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	1—7
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	7-8
कार्य मंत्रणा समिति 56वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Fifty-sixth Report—Adopted	8
आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित	Maintenance of Internal Security (Second Amendment) Bill—Introduced	8-9
आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1975 तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	Statement *re* : Maintenance of Internal Security (Amendment) Ordinance, 1975 and Maintenance of Internal Security(Second Amendment) Ordinance, 1975—Laid on the Table.	9
आपात स्थिति की उद्घोषणा के अनुमोदन के संबंध में साविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Approval of Proclamation of Emergency—Adopted.	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	9
संविधान (39वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-ninth Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव —	Motion to consider —	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	12
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	13
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat	14
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	15
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	16
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	17
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	18
श्रीमती माया राय	Shrimati Maya Ray	19
श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	20

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	20
श्री शंकरराव सावंत	Shri Shankerrao Savant	21
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	21
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	22
श्री अमर नाथ विद्यालंकर	Shri Amarnath Vidyalankar	22
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	23
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh	23
श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी	Shri Chandra Bhal Mani Tiwari	23
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	24
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	25
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	25
खण्ड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1	27—28
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	29
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	29
अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1975-76—	Demands for Grants (Pondicherry) 1975-76—	
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu	30
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	31
श्री अरविन्द बाल पजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor	32
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	33
पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975-76	Pondicherry Appropriation (No. 2) Bill, 1975-76	34
पुरःस्थापित, विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव—	Motions to introduce, consider and pass—	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	34
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक—	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	35
श्रीमति रोजा देशपांडे—	Shrimati Roza Deshpande	36
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani	37

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सरदार स्वर्णसिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	37
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya	38
डा० कैलाश	Dr. Kailas	39
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	39
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Panna Lal Barupal	40
खंड 2 से 5 और 1—	Clauses 2 to 5 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव--	Motion to pass—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	42
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	43
वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975	Finance (Amendment) Bill, 1975	43
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	43

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरूच्चिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तुरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नासिक)

काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैशाल, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन्, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा. श्री एम० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपूर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयशक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (मालदा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डांडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्द, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)

पजनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली, (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रासेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (ब्राह्म नीपुर)
पाटिल, श्री आन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिक लाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह, (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० व० (खरगांन)
बरूआ, श्री बेदव्र (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, (श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वंशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)

मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदाबक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ़, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शरद (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विश्वखापत्तनम)
राठिया, श्री उमेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस० (कुडलूर)
रामकवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रावर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लोर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपेरेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फ़ूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बाल गोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल, सिंह (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)

शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
साधुराम, श्री (फ़िलौर)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री राबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफ़न, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

(ह)

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)

हरि सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द, (औसग्राम)

हाशिम श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

हुडा, श्री नुरुल (कछार)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एस० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री एच० के० एल० भगत

श्री इससाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफ़न

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रक्षा मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री .	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० नुरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	महिषी डा० सरोजिनी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और शासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एल० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ़० एस० मोहसिन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
निर्माण और आवास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 23 जुलाई, 1975/1 श्रावण, 1897 (शक)

Wednesday, July 23, 1975|Sravana 1, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेलवे सुरक्षा आयोग का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं रेलवे सुरक्षा आयोग के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 9806/75]

मोटरगाड़ियों, मोटरगाड़ी सहायक उद्योगों आदि सम्बन्धी विकास परिषद् का वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मोटरगाड़ियों, मोटरगाड़ी सहायक उद्योगों, परिवहन गाड़ी उद्योगों, ट्रैक्टरों, मिट्टी हटाने के उपकरणों तथा इंटरनल कम्बस्चन इंजनों सम्बन्धी विकास परिषद् के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9807/75]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 और नागरिकता अधिनियम, 1955, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1975 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) बारहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 23 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 292(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 23 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 293(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तेरहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 26 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 295(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 26 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 296 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौदहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 28 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 304(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 28 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 31 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 651 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 752 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 753 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 754 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पन्द्रहवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 344(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) बारहवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 345(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) तीसरा संशोधन विनियम 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 346(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 347(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 348(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 349(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 350(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 351(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 28 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 781 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 9808/75]

(2) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 215(ङ) जो दिनांक 16 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सां० आ० 216(ङ) जो दिनांक 16 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा नागरिक (भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों पर पंजीकरण) नियम, 1956 को सिक्कम राज्य पर लागू किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 9809/75]

(3) संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत जारी किये गये संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 मई, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 614 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9810/75]

भारतीय सामान्य बीमा निगम का वर्ष 1973 का वार्षिक प्रतिवेदन और अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1973 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9811/75]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 156 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अस्वाब (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 24 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 341 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) निवास स्थानान्तरण (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 24 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 342(ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 9812/75]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 733 जो दिनांक 14 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 811 जो दिनांक 5 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

(तीन) सा० सां० नि० 393(ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 409(ङ) व सा० सां० नि० 412(ङ) जो दिनांक 15 जुलाई, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 9813/75]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 तथा कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 24क के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 323(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दोहरे कराधान को रोकने और उन पर करों के अपबंचन को रोकने के बारे में भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच हुआ समझौता दिया हुआ है तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 18 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 416(ङ) और सा० सां० नि० 417(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9814/75]

दक्षिण मध्य रेलवे पर दो दुर्घटनाओं के बारे में विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं 19 मई, 1975 और 15 जून, 1975 को दक्षिण-मध्य रेलवे पर बिना चौकीदार के फाटकों पर हुई दो दुर्घटनाओं के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या 9815/75]

व्यापार पोत अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जल पोत (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 तथा विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल पोत (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आं० 1041 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 9816/75]

पारपत्र अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपनपाल दास) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पारपत्र (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 9 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 325(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा० सां० नि० 359(ङ) जो दिनांक 27 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा पारपत्र नियम, 1967 को सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है ।

(तीन) पारपत्र (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 27 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 360(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 9817/75]

पेट्रोलियम उत्पाद (पूर्ति और वितरण) संशोधन आदेश

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पाद (पूर्ति और वितरण) संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 जून, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 743 में प्रकाशित हुआ था सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9818/75]

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 9819/75]

Papers under Companies Act, 1956.

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i) Review by the Government on the working of the Rural Electrification Corporation, New Delhi, for the year 1973-74.

(ii) Annual Report of the Rural Electrification Corporation, New Delhi, for the year 1973-74 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in the Library. See LT No. 9820/75]

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1972–73 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1972—73 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(चार) उपर्युक्त लेखे को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 9821/75]

(2) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 9822/75]

(3) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1973—74 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(4) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1973—74 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(5) उपर्युक्त (3) और (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 9823/75]

(6) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1973—74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल०टी० 9824/75]

———

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ने 21 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 94वें सत्र के प्रथम दिन तक और बढ़ाया गया है ।

(दो) कि राज्य सभा ने 22 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1972 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 94वें सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाया गया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 22 जुलाई, 1975 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा केन्द्रीय तथा अन्य सोसाइटियां (विनियमन) विधेयक, 1974 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये

जाने का समय राज्य सभा के 94वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाया गया है ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

56वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से, जो 22 जुलाई, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से, जो 22 जुलाई, 1975 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक

MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं गृह मंत्री द्वारा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1975 के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं ।

भारत में 25 जून के बाद तथाकथित प्रजातन्त्र के बने रहने पर यदि किसी को विश्वास था तो वह इस विधेयक से समाप्त हो गया है । यह विधेयक भारतीय राजनीति को अधिनायकवाद के निकट ले आया है । भारत में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को महत्व दिया जाता रहा है । यह महत्व हम लोग स्वतन्त्रता से पूर्व से ही देते आये हैं । संविधान के निर्माताओं ने इस स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व दिया है । हम समझते थे कि हमने इसे उपलब्ध कर लिया है । परन्तु 25 जून से तथा विशेषतः इस विधेयक से हमारे संविधान के निर्माताओं की आकांक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है ।

प्रत्येक गिरफ्तारी स्पष्टतः गैर-कानूनी है। राज्य के किसी भी अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को उस पर लगाये गये आरोपों के निराकरण का अवसर दिये बिना गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये।

गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक के अनुसार नजरबन्दी के कारण बताना भी आवश्यक नहीं रहा। इससे हमें फ्रांस की क्रान्ति का स्मरण हो आता है।

29 जून को अध्यादेश जारी किया गया क्योंकि 26 जून, को जनता के प्रिय नेताओं को सोते हुये पकड़ लिया गया था और सरकार के पास इसके लिये कोई वैध कारण नहीं थे। 'आंसुका' के अधीन पांच दिन के भीतर कारण बताने होते थे, परन्तु अब उस व्यवस्था को भी समाप्त किया जा रहा है और सरकार जब तक भी चाहे उन्हें नजरबन्द रख सकती है। मुझे आशा है कि सभा मंत्री महोदय को इस खतरनाक विधेयक के पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं देगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha divided:

पक्ष में / AYES 280 विपक्ष में / NOES 53

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1975 और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975 AND INTERNAL SECURITY (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 1975

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) अध्यादेश, 1975 तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जैसाकि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

आपात स्थिति की उद्घोषणा के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION OF EMERGENCY

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम): प्रस्ताव का समर्थन न करने वाले सदस्यों के तर्कों का निराकरण उन सदस्यों द्वारा भली प्रकार किया जा चुका है जिन्होंने इसका समर्थन किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सदस्यों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि इस उद्‌घोषणा के समय देश में सामान्य परिस्थिति नहीं थी। राजनीतिक नेता पुलिस तथा सेना को सरकार की अवज्ञा के लिये खुल्लम खुल्ला भड़का रहे थे। ऐसी बातों को कोई भी सरकार स्वीकार नहीं कर सकती।

ऐंसी स्थिति में जब सरकार को यह विश्वास हो गया कि कुछ लोग किसी प्रकार की कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं तो उन लोगों को हिरासत में लेना उचित समझा गया और हमने जो कार्यवाही करनी उचित समझी वह की। इस प्रकार उनकी सभी योजनाएं विफल हो गयी।

जहां तक समाचार पत्रों का सम्बन्ध है कोई भी इस बात से सहमत होगा कि समाचार पत्रों का एक वर्ग समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने लगा था और स्वच्छन्दता बरतने लगा था। चरित्र हनन उसका एक अंग है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार कर लिये हैं और सेंसरशिप अधिकारियों को दे दिये गये हैं। सभी वैध समाचारों पर कोई सेंसर नहीं लगेगा।

श्री गोपालन द्वारा केरल पुलिस की कार्यवाही के बारे में जो शिकायत की गई थी उसके बारे में हमने राज्य सरकार से पता लगाया है। श्री गोपालन तथा 9 अन्य व्यक्तियों को 10.30 बजे एरनाकुलम में निषेधादेशों का उल्लंघन करते हुए 'आंसुका' के अधीन गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पीटे जाने की बात सच नहीं है। इस बारे में उन्होंने मजिस्ट्रेट से शिकायत नहीं की थी। गृह मन्त्री ने स्थिति श्री गोपालन से स्पष्ट कर दी है।

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): आपने बताया कि आपको जानकारी केरल राज्य से मिली जबकि मुख्य मन्त्री वहां पर नहीं हैं। क्या यह जानकारी गृह मन्त्री से प्राप्त हुई?

श्री जगजीवन राम: मुझे और कुछ नहीं कहना है। सभा को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों तथा आचरण का पूरा पता है। हाल ही में भारतीय जनसंघ तथा श्री जयप्रकाश नारायण एक दूसरे के काफी निकट आये हैं। क्योंकि जनसंघ को ऐसे ही नेता की आवश्यकता थी जो कि राष्ट्रीय स्तर का हो और श्री जयप्रकाश नारायण को भी इस तरह का राजनीतिज्ञ दल चाहिए था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। मैं केवल उन बातों को दोहराना चाहता हूं जो कि श्री जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति दो बार अभिव्यक्त की थीं। (**व्यवधान**) गांधीजी की हत्या के तुरन्त पश्चात् श्री जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की आलोचना की थी और युवकों से साम्प्रदायिकता को दूर करने की अपील की थी। श्री जोशी कहते हैं कि यह एक सांस्कृतिक संगठन है। किन्तु मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह सांस्कृतिक संगटन कदापि नहीं है।

प्रधान मन्त्री ने तत्काल जो कार्यवाही की है, उसकी सारे राष्ट्रीय ने सराहना की हैं। जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने जा रही थी उसे दबा दिया गया है। यह सब आपात स्थिति की उद्‌घोषणा का ही प्रभाव है।

सन्देह व्यक्त किया गया है कि सरकार इन शक्तियों का अनुचित ढंग से प्रयोग करेगी। एक बात मुख्य रूप से कही गई है कि इसका प्रयोग राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध किया गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जहां कहीं राजनीतिक नेता अपना कार्य लोकतान्त्रिक ढंग की बजाय गैर-लोकतान्त्रिक तरीके से कर रहे थे, वहां इसका प्रयोग किया गया है। गिरफ्तार राजनीतिक नेताओं के

स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि उन लोगों के स्वस्थ्य की पूरी देख-रेख की जा रही है। नियमित रूप से उनके स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच कार्रवाई की जा रही है।

कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा इन शक्तियों का दुरुपयोग किया जायेगा। राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे इन शक्तियों का प्रयोग सावधानी से करें। इससे जनता में विश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। वे समझ रहे हैं कि अब उनका जीवन सुरक्षित है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : लोगों में आतंक मच गया है।

श्री जगजीवन राम : यह ठीक है कि कुछ स्वार्थी लोगों में भय पैदा हो गया है। शेष सभी लोगों ने इस कदम की सराहना ही की है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपके ही लोगों ने इसकी सराहना की है।

श्री जगजीवन राम : हमारे ही लोगों ने नहीं वरन् विपक्ष में बैठे मेरे मित्रों ने भी इसका स्वागत किया है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि कई विरोधी दलों ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने प्रधान मन्त्री के आर्थिक कार्यक्रमों का पूरी तरह समर्थन किया है। वे इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए राजी हैं। उन्होंने शर्त लगाई है कि यदि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक हुआ तो वे उद्घोषणा का स्वागत करेंगे। निस्सन्देह इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। यह उद्घोषणा का समाप्त किया जाना विरोधी दलों के रवैये पर निर्भर करता है। हमें आशा है कि सामान्य स्थिति उत्पन्न करने में वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 1975 को जारी की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा का और जम्मू और कश्मीर राज्य में यथाप्रवृत्त, संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उद्घोषणा को जम्मू और काश्मीर राज्य में लागू करने हेतु जारी किए गए राष्ट्रपति के दिनांक 29 जून, 1975 के आदेश का अनुमोदन करती है।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में / Ayes	336	विपक्ष में / Noes	59

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं भारतीय साम्यवादी दल को छोड़कर शेष अधिकांश विरोधी दलों की ओर से एक वक्तव्य देना चाहता हूं। भारतीय साम्यवादी दल तथा कुछ निर्दलीय सदस्यों को छोड़कर हम सबने इस सत्र में भाग लेने का निर्णय किया। किन्तु दो बातों से हम लोगों में अनिच्छा उत्पन्न हुई है। पहली बात समाचार पत्रों पर सेंसरशिप और दूसरी बात यह है कि सदस्यों को प्रश्न पूछने, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करने या किसी तरह का अन्य मामला उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संसद् को सरकारी कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करने होते हैं

जैसे कि सरकारी नीति पर वाद-विवाद ग्रादि । क्या कोई प्रश्न पूछ कर ग्रथवा कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करके कोई सदस्य सभा का ध्यान देश के महत्वपूर्ण मामलों की ग्रोर ग्राकर्षित कर सकता है ? इसीलिए प्रश्न पूछना या प्रश्नकाल का होना एक सामान्य सदस्य के महत्वपूर्ण ग्रधिकारों में से एक है ।

फिर भी यह महसूस किया गया था कि सम्भवत: संसद के इस वर्तमान सत्र में सामान्य रूप से कार्यवाही चलेगी ग्रौर सदन में दिए गए भाषणों को प्रेस पर लगे सेंसर के बावजूद ईमानदारी ग्रौर स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित किया जायेगा ।

किन्तु सभा की कल की कार्यवाही ग्राकाशवाणी ने जिस ढंग से प्रसारित की, वह भ्रामक ग्रौर गुमराह करने वाली थी । ग्राकाशवाणी ने केवल वाद विवाद में भाग लेने वालों के नामों का उल्लेख किया जबकि श्री जगजीवन राम के भाषण पर पूर्ण प्रकाश डाला गया । ग्राज के समाचार पत्रों में प्रकाशित सभा की कार्यवाही भी लगभग उसी रूप में है । सरकार ग्रापात स्थिति के बारे में ग्रपने विचार तो जनता तक पहुंचा रही है किन्तु जनता तक विरोधी पक्ष के विचार नहीं पहुंचने देती ।

सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा विशेषतया इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी प्रसिद्ध संसद् सदस्य बन्दी बनाए जा चुके हैं, हमें ग्रब यह विश्वास हो गया है कि संसद् के इस सत्र की कार्यवाही में हमारे भाग लेने का कोई ग्रर्थ नहीं होगा क्योंकि संसद् स्वतन्त्र ग्रौर लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य करने की स्थिति में नहीं है ।

इसके पश्चात श्री त्रिदिब चौधरी तथा कुछ ग्रन्य माननीय सदस्य सभा से उठकर चले गये ।

Shri Tridib Choudhuri and some other hon. Members then left the House.

संविधान (39वां संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (THIRTY-NINTH AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० ग्रार० गोखले) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का ग्रौर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को उन परिस्थितियों का पहले ही पता है जिनके कारण संविधान के ग्रनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के ग्रधीन राष्ट्रपति द्वारा 25 जून, 1975 को ग्रापात स्थिति की उद्घोषणा की गई थी । जो सरकार ग्रापात स्थिति का सामना करने के लिए तत्काल कार्यवाही नहीं करती, उसे संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा न करने के लिए भावी पीढ़ी दोषी ठहरायेगी ।

ग्रापात स्थिति की उद्घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में संविधान के उपबन्ध सुस्पष्ट हैं । इसी प्रकार संसद् की ग्रन्तर सत्रावधि के दौरान ग्रध्यादेश जारी करने सम्बन्धी राष्ट्रपति की शक्तियों का भी संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है । खेद है कि कुछ शंकाएं तथा मतभेद उठ खड़े हुए हैं । सरकार का विचार प्रस्तावित संविधान संशोधन को सभा के समक्ष पेश करके उन शंकाग्रों का निवारण करना है ।

प्रस्तावित संशोधन में यह व्यवस्था है कि ग्रनुच्छेद 123, 213, 239ख, 252, 256 तथा 360 में उल्लिखित "सन्तुष्टि" सापेक्ष है ग्रौर न्यायिक क्षेत्र से बाहर है । इसीलिए न्यायालय में उसके विरुद्ध ग्रावाज नहीं उठाई जा सकती । वस्तुत: प्रस्तावित संशोधन केवल स्पष्टमूलक मात्र है क्योंकि

इन अनुच्छेदों में अध्यादेश जारी करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति की "सन्तुष्टि" नितान्त आवश्यक है। अनुच्छेद 213 और 239ख के अन्तर्गत अध्यादेश जारी करने हेतु ऐसी ही स्थिति क्रमशः राज्यपाल तथा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक की है। प्रिवी कौंसिल, संघीय न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिए गए हैं कि यह नियम वादयोग्य मामला नहीं है।

अतः सदस्यगण को पता लग गया होगा कि वैधानिक स्थिति स्पष्ट है और किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं हैं। फिर इस मामले को बार-बार न्यायालयों में ले जाया जाता है। इस शंका को दूर करने के लिए ही संविधान में संशोधन किया जा रहा है।

इस विधेयक का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी स्पष्टीकरण करने वाला ही है। अनुच्छेद 352 की भाषा से स्पष्ट हैं कि यदि राष्ट्रपति सन्तुष्ट है तो आपात स्थिति की उद्घोषणा एक से अधिक बार की जा सकती है जैसा कि विधेयक में विनिर्दिष्ट है। इस अनुच्छेद के स्पष्ट अभिप्राय के बावजूद भी कुछ रिट याचिकाओं में विवाद उठाया गया है कि जब आपात स्थिति की मूल उद्घोषणा पहले हो लागू है तो अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत दूसरी उद्घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। विधेयक में इसे स्पष्ट करने और इस सम्बन्ध में सन्देह दूर करने का प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति भिन्न आधारों पर भिन्न उद्घोषणा जारी कर सकता है, चाहे उद्घोषणा पहले से लागू है या नहीं।

इस विधेयक का तीसरा पहलू अनुच्छेद 359 में विनिर्दिष्ट आशय को स्पष्ट रूप से पेश करना है। अनुच्छेद 258 के अन्तर्गत जब उद्घोषणा जारी होती है तो अनुच्छेद 19 निष्क्रिय हो जाता है और इसके साथ ही यह अनुच्छेद राज्य को कोई कानून बनाने या कार्यकारी कार्यवाही करने से उसकी शक्ति को नियन्त्रित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 359 में निहित आशय की भी इसके समान है। अतः इस विधेयक में व्यवस्था है कि जब संविधान के भाग--3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) के अधीन दिया गया आदेश जारी होता है तो इस भाग में प्रदत्त कोई अधिकार राज्य को कोई कानून बनाने या कोई कार्यकारी कार्यवाही करने सम्बन्धी उसकी शक्ति को नियन्त्रित नहीं करेगा।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The framers of our Constitution wanted that the Constitution should be amended very rarely. But unfortunately after adopting the Constitution, grave situations arose on many occasions. Sometimes the Courts gave such decisions which necessitated amendments in the Constitution. Every one knows that most of the people of our country are not in a position to take recourse to courts. As a result of which they are deprived of the justice. When the Government took any step, that step has been challenged by the capitalists and other vested interests and the Courts gave their decision in their favour. During the fourth Lok Sabha when Government proposed to nationalise Banks and abolish the privy purse, these proposals were challenged and the courts ultimately gave their decision in their favour. When the Government arrested top smugglers, the courts ordered their release from the jails.

Some anti-national elements were trying to destroy our democracy. They were creating lawlessness in the country. When the situation became grave, Government had to resort to emergency to meet it. We also want the emergency to be lifted as early as possible, but restoration of normalcy is the precondition. There is a provision in the Bill that if the President is satisfied he can left emergency. We should use this emergency as a measure to check corruption and exploitation of the poors. I know that there has been improvement in the law and order situation after proclamation of emergency. The Minister should see that this measure is not used against the poors. It should not be misused. The capialists and the monopolists should not be allowed to exploit the situation.

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व-दिल्ली) : इस विधेयक पर अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है । आपात स्थिति की घोषणा चाहे बाहरी आक्रमण या आन्तरिक स्थिति के कारण की गई है, इस समय आवश्यकता इस बात की है कि वाद-विवाद के बजाय कुछ काम किया जाये । विश्व के सभी संविधानों में यह उपबन्ध है कि यदि देश का मुखिया समझता है कि स्थिति का सामना करने के लिए आपात स्थिति लागू करनी आवश्यक है तो वह इसकी उद्घोषणा कर देता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर के भाषण को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा है कि यह विधेयक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को कम करने वाला है । अनेक न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं कि यह मामला उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता । इसलिए मेरे विचार से इस संविधान संशोधन विधेयक में दिया गया स्पष्टीकरण न्यायालयों के वैध क्षेत्राधिकार को समाप्त नहीं करता है । दूसरी ओर इससे न्यायालयों का अनावश्यक भार तथा दबाव कम हो जायेगा ।

मेरे माननीय मित्र ने संविधान निर्माताओं का उल्लेख किया है । मैं इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी आज की परिस्थितियां उन परिस्थितियों से काफी भिन्न हैं जिनमें हमारे वर्तमान संविधान का गठन किया गया था। हमारी आज की समस्यायें उन समस्याओं से काफी भिन्न हैं तथा उनके लिए हमें अपने संविधान में कुछ आधारभूत परिवर्तन करने पड़ेंगे । हमें अपनी न्याय व्यवस्था को भी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होगा । मेरे माननीय मित्र ने स्वयं ही इस सम्बन्ध में कहा है कि आज न्यायपालिका गरीब तथा साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर की बात हो गई है क्योंकि उसमें न्याय के लिए अपेक्षित धन व्यय करने का सामर्थ्य नहीं होती । अतः हमें अपनी न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे जिनके फलस्वरूप समाज के साधारण तथा दुर्बल व्यक्ति को भी न्यायपालिका का लाभ हो सके । स्वयं न्यायाधीशों ने अपने अनेक 'निर्णयों' में न्यायपद्धति तथा कानूनों में परिवर्तन करने का संकेत भी दिया है ।

आज हम उस समाज में नहीं रह रहे हैं जिसमें हमारा संविधान बनाया गया था । आज उस समाज में परिवर्तन आ चुका है तथा हमारी वास्तविक आवश्यकता यह है कि समाज के सामूहिक कल्याण के लिए कार्य किया जाये । आपातकालीन स्थिति का लाभ हम अपनी आर्थिक कार्यक्रमों को और अधिक सुचारू रूप के क्रियान्वित करने के लिए भी कर सकते हैं । आपातकालीन स्थिति ने देश में एक नया उत्साह पैदा कर दिया है । देश में हो रहे जुर्मों की संख्या काफी कम हो गई है । बसों में सफर करना अब पहले से अधिक सुरक्षित हो गया है । बसों की स्थिति में सुधार हुआ है । तथ्य तो यह है कि आपातस्थिति ने देश में एक नया वातावरण उत्पन्न कर दिया है । यद्यपि हमारे देश के लोग अधिक शिक्षित नहीं हैं तो भी उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में परिपक्वता का परिचय दिया है। हमें आशा है कि इस आपातकालीन स्थिति के दौरान हम सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य इसी प्रकार की बुराईयों को समाप्त करने में सफल होंगे तथा एक नये समाज का उत्थान होगा ।

वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है अपितु उसमें केवल कुछ स्पष्टीकरण ही दिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं । इसके अनुसार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को कम करने का कोई प्रश्न नहीं है । यह दुर्भाग्य की बात है कि आज विरोधी दलों ने सदन से बाहर रहने का निश्चय किया है। खैर इस आपात स्थिति के लिए यह भी अच्छा ही है अन्यथा विरोधी दल वाले सत्याग्रह या धरना करके सभा की कार्यवाही भी न चलने देते । सत्य तो यह है कि आज हमारी संसद् अधिक गौरवशाली तथा दायित्वपूर्ण ढंग से अपने कर्त्तव्य पालन में लगी

हुई है । आज संसद् में पहले की अपेक्षा अध्यक्षपीठ तथा सदन के नियमों का अधिक सम्मान हो रहा है ।

कल मेरे मित्र श्री एच० एम० पटेल ने सदन को बताया कि ऐसी अफवाह फैली हुई है कि सोवियत संघ के अधिकारियों का एक दल भारत आया हुआ है । आज यदि समाचारपत्रों पर सेंसरशिप न लगी होती तो इस अफवाह से सम्पूर्ण देश में हलचल मच जाती । इसी की आड़ में न जाने क्या कुछ हो जाता । तथ्य तो यह है कि हमारे देश में कुछ लोग तथा समाचारपत्र स्वतन्त्रता के नाम पर, गलत प्रचार करने के लिए प्रचार साधनों का उपयोग करने में लगे हुये थे ।

मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का स्वागत तथा समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हम यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि जब यह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेगा तो लोगों के अधिकार कुछ सीमा तक कम हो जायेंगें परन्तु फिर भी मैं इसका समर्थन करता हूं । मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर समाज विरोधी तथा प्रजातंत्र विरोधी लोगों के अधिकार ही कम होगें क्योंकि अब तस्कर पहले की तरह उच्च या उच्चतम न्यायालय में नहीं जा पायेंगे ।

मैं श्री भगत द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि आज हमारे देश के लोग अधिक सक्रिय हो गये हैं, वह पहले से अधिक जागरूक हैं । मूल्यों में कमी होने लग गई है । सरकार जिस कार्य के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही, वह आपातकालीन स्थिति में स्वतः होने लग गया है, । यह ठीक है कि अपने चार मित्रों, सर्वश्री श्यामनन्दन मिश्र, पीलू मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा ज्योतिर्मय बसु का अभाव हमें कुछ खटक रहा है परन्तु यदि वह सदन में होते तो हम सदन में श्री तुलमोहन राम तथा स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के इलावा अन्य किसी भी विषय पर चर्चा न कर पाते ।

मैंने कल अपने मित्र श्री धारिया के वक्तव्य को काफी ध्यानपूर्वक सुना । उन्होंने इस संद् के माध्यम से राष्ट्र का आह्वान किया है । उसमें इतना साहस नहीं है कि जब वे गिरफ्तार किये गये तो वह अपने संदेश के आह्वान इश्तिहार छपवा कर सम्पूर्ण देश में बांटते । 1949 में पुलिस हमारे पीछे होती थी तो भी हम लाल झंडा लिये अपना पैगाम लोगों तक पहुचाते रहते थे। हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए संसद् भवन नहीं आया करते थे । श्री मोहन धारिया ने केवल प्रधान मंत्री पर ही आक्षेप नहीं किया है अपितु साम्यवादी दल के अध्यक्ष श्री डांगे पर भी आक्षेप किया है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि श्री डांगे उनकी तरह दलबदलु नहीं हैं । जब श्री धारिया ने मंत्री बनना चाहा तो वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के सदस्य बन गए और बाद में जब उन्हें पता लगा कि सभी प्रतिपक्षी दल श्रीमती इन्दिरा गांधी को गद्दी से हटाने में शामिल हो जाएंगे तो एक दम अपनी विचारधारा बदल दी ।

हम इस सरकार का समर्थन करते हैं । और तब तक इस सरकार का, श्रीमती इन्दिरा गांधी का समर्थन करते रहेंगे जब तक वह प्रगतिशील, निर्णय जैसे कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण इत्यादि जैसे निर्णय लेती रहेंगी । सरकार का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय और यह सदन दोनों ही संविधान द्वारा बनाए गए हैं । अतः हमें उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए ।

जब इस सदन में तस्करों, जमाखोरों और अन्य लोगों के संक्षिप्त विचारण की बात की गई तो विरोधी पक्ष के सभी नेताओं ने कहा कि इन तस्करों, जमाखोरों को गोली से उड़ा दिया जाए और अब जबकि उन्हें न्यायालय की शरण में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, तो इसमें क्या बुराई है।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं विधि मंत्री से केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं। विधि मंत्री तथा गृह मंत्री इस बात को देखें कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा के बाद छोटे-छोटे दुकानदारों को निरीक्षकों द्वारा तंग किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने प्रत्येक वस्तु पर उसकी कीमत दर्शाने वाली पर्ची भी लगा रखी है। इस आपातकालीन स्थिति को पुलिस अधिकारियों के लिए वरदान नहीं सिद्ध होना चाहिए। कुछ पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हैं जो 5 रुपये प्रतिदिन कमाते थे अब 50 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं। इस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब आप इन शक्तियों को अपने हाथ में लेते हैं, तो इस बात को देखने का यत्न किया जाए कि इनका प्रयोग ठीक से हो। मंत्री महोदय सदन को इस बात का आश्वासन दें कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यह अस्थायी उपाय हैं और कभी-कभी ऐसे उपायों की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम इस विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमे आशा है कि सरकार कुछ प्रगतिशील उपाय अपनाएगी। प्रधान मंत्री तथा इनके सहयोगियों द्वारा दिए गए वचनों को पूरा किया जाएगा अन्यथा इस विधेयक से लोगों में निराशा होगी और उग्र प्रतिक्रियावादी दल इसका फायदा उठाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के० हनुमंतैया (बंगलौर) : यह संवैधानिक संशोधन अविवादास्पद है। यह संशोधन स्पष्टीकरण देने वाला सशोधन है। इससे न्यायालयों के अधिकारों में कुछ कमी नहीं हुई है। विधि मंत्री ने अपने संक्षिप्त भाषण में इस बात को स्पष्ट किया है कि इस संशोधन द्वारा न्यायिक निर्णयों को ठोस रूप दिया जा रहा है। प्रजातंत्रीय पद्धति में शक्तियां तीनों अंगों अर्थात् न्याय-पालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बंटी होती हैं। उस दृष्टि से देश को आंतरिक आक्रमणों से बचाने तथा देश में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। अगर कार्यपालिका इन कर्तव्यों को उचित रूप से नहीं निभाती तो हम उसे आड़े हाथों लेते हैं। यहां आपातकालीन स्थिति का प्रयोग देश को बाह्य खतरे से बचाने और देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में किया गया है। इसलिए यह न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। अतः देश को बाह्य और आंतरिक खतरे से बचाने की जिम्मेदारी पूर्णतया कार्यपालिका पर है। राष्ट्रपति भी केवल प्रतीक मात्र नहीं है—वह भी कार्यपालिका का एक अंग है। वह मन्त्रिमण्डल के परामर्श पर निर्णय लेता है। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में निहित है। नहां इस प्रकार की कुछ बात हो सकती है। अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए वह अपनी मनमर्जी नहीं बरत सकते। क्योंकि सब कुछ परस्पर सम्बद्ध है। भारत में वास्तविक प्रजातंत्र है और यह संशोधन केवल प्रजातंत्रीय सरकार के सिद्धान्तों के अनुरूप ही नहीं है अपितु प्रक्रिया के भी अनुकूल है। इसीलिए मैंने इस संशोधन को स्पष्टीकरण देने वाला वक्तव्य कहा है। विधि मंत्री का कहना है कि वह इस संशोधन के द्वारा न्यायिक निर्णयों को ठोस रूप देना चाहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में न्यायाधीशों ने स्वयं कई बार न्यायिक सुधारों के लिए कहा है। हमारी न्यायिक प्रणाली बहुत महंगी और बहुत पेचीदा है।

आपातकालीन स्थिति ने सरकारी कर्मचारियों को वह काम करने का मौका दिया है जोकि सामान्य स्थिति में नहीं किया जा सका। सरकार का सारा ढांचा ऊपर से लेकर नीचे तक अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग हो गया है जिससे राष्ट्र के समुचित आर्थिक तथा सामाजिक विकास द्वारा एक नये समाज का निर्माण करने में मदद मिलेगी। नये समाज में पुरानी न्याय प्रणाली और उसकी प्रक्रियाएं नहीं चल सकतीं। अतः मेरा विधि मंत्री से अनुरोध है कि वह न्यायिक सुधारों के मामले में रुचि लें।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : आपातकालीन स्थिति लागू करने से बहुत पहले यह मामला सामने आ गया था कि क्या राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं। लेकिन विधि मंत्री ने यह संशोधन लाना अब उचित समझा है ताकि वह आपातकालीन स्थिति के वातावरण का लाभ उठा कर जो भी विधान चाहे संसद् से पास करा लें।

यह कहा गया है कि न्यायालय प्रगतिशील उपायों के मार्ग में बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं हमेशा इस सरकार के प्रगतिशील उपायों का समर्थन करता रहा हूं। यदि सरकार यह सोचती है कि न्यायालय प्रगतिशील विधानों के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक विधान लाकर न्यायालयों को बिल्कुल समाप्त ही कर दे।

प्रजातंत्र अत्यन्त असुविधाजनक पद्धति है क्योंकि इसमें लोग सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र में बहुमत की इच्छा चलती है और अब ऐसा लगता है कि बहुमत को अल्पसंख्यकों की राय की कोई चिन्ता नहीं। सदन ने विरोधी पक्ष के कई नाटक देखे हैं लेकिन विधान का वही भाग पारित किया गया जिसे बहुमत की स्वीकृति प्राप्त हुई।

आजकल एक बड़ी तर्कहीन बात कही जा रही है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद कार्यकुशलता में बहुत वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम ने इन 27 वर्षों में अपना समय बेकार खोया है और यह संसद् एक किस्म का निरर्थक अंग है। आखिर इस तर्क का क्या आधार है ?

जहां तक प्रैस की स्वतंत्रता का सवाल है आप ने उस पर सेन्सरशिप लगा दी है और ऐसा करने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि अफवाहों को फैलने दिया जाये तो देश तबाह हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं या तो आप प्रैस को स्वतंत्रता दें अथवा बिल्कुल न दें। यह नहीं होना चाहिए कि प्रैस केवल वही समाचार प्रकाशित करें जिसे आप प्रकाशित कराना चाहें। प्रजातंत्र का सार यह है कि जनता के समक्ष सत्तारूढ़ दल और विरोधी पक्ष दोनों की विचारधारा को रखा जाये और फिर जनता स्वयं इस बात का निर्णय करे कि दोनों में से कौन सही है। आप जानते हैं कि 1971 में समाचारपत्रों ने आपके बारे में क्या लिखा फिर भी लोगों ने आपको वोट दिया। आज यह संदेह कैसे उत्पन्न हो गया है कि विरोधी पक्ष द्वारा फैलायी जाने वाली अफवाहों से सरकार का ढांचा हिल जायेगा। 12 मार्च के बाद से आप जनता से भयभीत हो गये हैं। उससे पहले आप जानते थे कि लोग आप के साथ हैं। अगर यह विधान अच्छी नियत से लाया जाता तो मैं इसका समर्थन करता पर आप यह विधान न्यायपालिका का मान घटाने के लिये लाये हैं। आप की न्यायपालिका में कोई आस्था नहीं है।

आपातकालीन स्थिति के नाम पर सभी असंगत मामले लाये जा रहे हैं। इस विशेष संशोधन के सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि कुछ मामलों में स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। यदि संशोधन

[श्री एस० ए० शमीम]

की वास्तव में आवश्यकता थी तो बार-बार 'आंसुका' का प्रयोग क्यों किया जाता रहा। यह कानून तस्करों को पकड़ने के लिए है या उनका बचाव करने के लिए है। तस्करों को तो काफी पहले पकड़ लिया जाना चाहिए था किन्तु पहले उन्हें इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वह कांग्रेस दल और अन्य दलों को चुनाव लड़ने के लिए चन्दा देते थे अब अचानक इन तस्करों और राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है।

मेरा श्री मोरारजी देसाई और श्री जयप्रकाश नारायण से मतभेद है लेकिन मैं यह बात कदापि मानने के लिए तैयार नहीं कि वह तस्कर हैं फिर वह क्यों गिरफ्तार किये गये हैं। उन्हें देश की सुरक्षा के लिए खतरा समझा गया है। श्री मोरारजी देसाई ने जब उपवास रखा था तो प्रधान मंत्री ने स्वयं उनसे उपवास तोड़ने का अनुरोध किया और उनकी मांगों को स्वीकार किया। श्रीमती गांधी श्री जयप्रकाश नारायण से भी बातचीत करना चाहती थीं लेकिन श्री सिन्हा के फैसले के बाद स्थिति एकदम बदल गई और श्री जयप्रकाश नारायण भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गये।

25 जून को आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई तब से श्रीमती इन्दिरा गांधी तानाशाह की भाषा में बोलने लगी हैं। हम कश्मीर के लोग पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कश्मीरियों से कहते थे कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि पाकिस्तान में तानाशाही है और भारत में प्रजातंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आज मेरे पास वह तर्क भी नहीं रहा।

मैं इस संवैधानिक संशोधन का विरोध करता हूं। मेरे विचार में ऐसा उपकरण उन व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिनमें हमारी आस्था न हो। हमारी इस सरकार में आस्था नहीं है अतः हम इसका विरोध करते हैं।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा का समर्थन दोनों सदनों ने कर दिया है अतः उन परिस्थितियों के उल्लेख किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं दीखती जिनके कारणवश आपात की घोषणा करनी पड़ी है। सदन के समक्ष रखा गया यह विधेयक साधारण है और इसका उद्देश्य संविधान के कुछ अनुच्छेदों का संशोधन करना है लेकिन श्री शमीम ने कुछ असंगत बातें कहीं हैं। जब विरोधी पक्ष के लोग खुले आम यह घोषणा करें कि वह सरकार के काम काज को ठप्प कर देंगे और वह नागरिक अनुशासन हीनता आन्दोलन शुरू कर देंगे तो क्या सरकार को मूक दर्शक बना रहना चाहिए; क्या ऐसी स्थिति में आपात की घोषणा करना उचित नहीं? अगर सरकार यह कदम न उठाती तो लोग यही कहते सरकार स्थिति को नियंत्रण करने में असमर्थ रही है और फिर उसे हटाने की मांग की जाती। यदि आप सारे राष्ट्र के हित को देखेंगे तो निश्चय ही आप 25 जून को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित आपातकालीन स्थिति का समर्थन करेंगे।

क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जानी चाहिए थी अथवा उसकी अवधि कितनी हो यह प्रश्न न्यायालय के हस्तक्षेप से परे हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि कुछ नागरिक जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत नजरबंद किया है उच्चतम न्यायालय में जाकर उसके पहले निर्णयों की पुनरीक्षा कराने का अवसर न पा सकें। इन सभी संभावित संशयों को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

आपातकालीन स्थिति जारी रखने के संबंध में कई प्रश्न उठाए गए हैं। यह कहा गया है कि देश में आपातकालीन स्थिति नहीं है और न ही इसे जारी रखने की कोई आवश्यकता है। आपात कालीन स्थिति के अंतर्गत प्राप्त की गई शक्तियां वैध नहीं हैं, उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे-सभी संदेहों के निराकरण के लिए यह संशोधन लाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की संतुष्टि मंत्रिपरिषद् के परामर्श पर आधारित है और यही इस घोषणा का आधार है।

यदि संसद के दोनों सदन स्वीकृति नहीं देते तो घोषणा केवल दो महीने तक प्रभावी रहेगी। इस बात का निर्णय करना कि देश में आपातकालीन स्थिति की आवश्यकता है या नहीं संसद का काम है। अतः विधायिका नियंत्रण का काम करती है ताकि राष्ट्रपति अत्यधिक शक्तियां ग्रहण न कर सकें।

लेकिन इस मामले में न्यायालय तीसरे सदन का काम नहीं कर सकता। न्यायिक पुनरीक्षण के मामले में न्यायालयों की शक्तियां सीमित होती हैं अतः जब कभी भी आपातकालीन स्थिति हो तो इस बात के निर्णय की जिम्मेदारी राज्याध्यक्ष और कार्यपालिका पर होती है कि क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाए और उसकी अवधि क्या हो। इसका फैसला करना न्यायालयों का काम नहीं। इस संशोधन के द्वारा न्यायालयों के अधिकारों को कम नहीं किया जा रहा और न ही लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है। इस विधेयक द्वारा इन उपबंधों के अन्तर्गत नजरबंद किए गए व्यक्तियों के न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित किया जा रहा है अतः यह विधेयक अविवादास्पद है और हमें इसका पूर्ण समर्थन करना चाहिए।

श्रीमती माया राय (रायगंज): यह खेद की बात है कि श्री शमीम ने निर्दलीय सदस्य होते हुए भी यह कहा है कि वह प्रतिपक्ष की ओर से बोल रहे हैं वस्तुतः प्रतिपक्षी दल असंगत बातें करते हैं।

हम विधि मंत्री का समर्थन करते हैं जिन्होंने इस मसले की रूपरेखा सामने रखी है। ऐसा करते हुए सरकार कोई नया काम नहीं कर रही है। केवल उसी कानून की चर्चा पुनः की जा रही है जिसका उल्लेख विधि प्रतिवेदनों में है।

श्री शमीम प्रैस की स्वतंत्रता के बारे में बहुत चिन्तित दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रैस वाले अपने कर्तव्यों को भली भांति जानते हैं। मैं पिछले दो तीन सालों से इस सदन की सदस्य हूं और मैंने देखा है कि प्रैस ने सैंट्रल हाल में कैसा काय किया है। इसमें संदेह नहीं कि प्रैस में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। इसी प्रकार अच्छे विधायक भी हैं और बुरे विधायक भी हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं और बुरे राजनीतिज्ञ भी हैं। इस सदन का उपयोग सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल के सदस्यों द्वारा उस विशेष अधिकार की आड़ में एक दूसरे पर दोषा-रोपण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो कि सदन से बाहर संभव नहीं है।

मैं न्यायपालिका का आदर करने वालों में से एक हूं। यह प्रजातंत्र के स्तम्भों में से एक है। न्यायपालिका प्रजातंत्र का एक अभिन्न अंग है क्योंकि यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। सरकार ने इन संशोधनों को लाकर तथा और अध्यादेशों को विवाद योग्य न बनाकर कोई नया काम नहीं किया है बल्कि कानून की पुनः व्याख्या की है।

[श्रीमती माया राय]

श्री शमीम ने कहा है कि विधि मंत्री वर्तमान परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए इन संशोधनों को यहां ला रहे हैं। जिन कानूनों की व्याख्या न्यायालय ने 1931 में की थी उन्हें अब स्पष्ट रूप से संविधान में स्थान देने जा रहे हैं।

श्री शमीम ने कहा है कि विधि मंत्री वर्तमान स्थिति का लाभ उठाते हुए इन संशोधनों को ला रहे हैं। प्रतीत होता है कि ऐसा कहते हुए उन्होंने कानून को ध्यान में नहीं रखा है।

संशोधन का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति की घोषणा के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत वाद योग्य न बनाना है। यहां पर भी कानून का वणन किया गया है और संविधान का संशोधन न्यायालयों द्वारा की गयी परिभाषा के अनुसार किया जा रहा है। इस संबंध में मैं सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों के उदाहरण दूंगी। सर्वोच्च न्यायालय के ए० आई० आर० 1967 के पृष्ठ 1335 में कहा गया है :—

> "क्या आपातकालीन स्थिति गम्भीर है अथवा अनुच्छेद में उल्लिखित कोई खतरा है, इस प्रश्न को कार्यपालिका ही भली भांति समझ सकती है। लेकिन इस प्रकार की असाधारण शक्तियों के दुरुपयोग का भी खतरा है जो तानाशाही में परिणित हो सकता है। इस हेतु देश की परिस्थितियों तथा सत्तारूढ़ व्यक्तियों के उद्देश्यों का भली भांति अध्ययन जरूरी है।" इस बैंच के मुख्य न्यायधीश के० सुब्बा राव, न्यायधीश एम० हिदायतुल्ला, न्यायधीश एस० के० सिकरी, न्यायाधीश आर० एस० बचावत तथा न्यायधीश जे० एम० शैलत थे। यह संशोधन देश के न्यायधीशों की न्यायिक परिभाषाओं को ठोस रूप देने के उद्देश्य से लाया गया है।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki): Rightists, reactionaries and communalists have always been opposing amendments of the Constitution by saying that democracy is being eroded.

Judiciary has been blocking the implementation of provisions of the Constitution meant for the welfare of the people of India. We have noticed that Judiciary created obstacles in the way as enactments passed by the 5th Lok Sabha. In view of this, there is no way out but to amend the Constitution.

We will have to amend the Constitution, whenever necessary, with a view to protect the interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, weaker sections of society and the minorities.

We will have to implement the 20 point programme of the Prime Minister. There should be no hesitation in amending the Constitution in case some obstacles are created in the implementation of this programme. We hope that socialism will march ahead under the leadership of Shrimati Indira Gandhi. People of India are hopeful that economic and social disparities will be removed.

It is heartening to note that forces of violence, chaos and instability in the name of R.S.S., Jamat-e-Islam and Anand Marg have been banned. If necessary, we will have to amend the Constitution with a view to check their activities.

With these words, I support this Bill.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : विधेयक का उद्देश्य देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानी गयी कानूनी स्थिति पर पुनः प्रकाश डालना है। इस विधेयक का मुख्य पहलू यह है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल, राष्ट्रपति अथवा प्रशासक द्वारा संविधान के अन्तर्गत प्रयुक्त कुछ शक्तियों

संबंधी संतुष्टि न्यायालय में वाद-योग्य नहीं होगी। देश में दिसम्बर, 1971 से आपात्तकालीन स्थिति चल रही है क्योंकि उस समय देश को पाकिस्तानी युद्ध का सामना करना पड़ा। अब भीतरी गड़बड़ियों से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया था और इसीलिए नई आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। अत: किसी कानून अथवा दूसरी आपातकालीन स्थिति की घोषणा से प्रभावित होने के बारे में संदेह पैदा हो सकते हैं। यह विधेयक इस प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए ही लाया गया है।

श्री शंकरराव सावंत (कोलाबा) : मैं संविधान के इस संशोधन का समर्थन करता हूं। संविधान का यह संशोधन स्पष्टीकरण करने वाला संशोधन है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थिति अथवा अध्यादेश के जारी करने से पहले राष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा प्रशासक की संतुष्टि को वाद-योग न बनाना है। इससे पहले संतुष्टि को कार्य भी वाद-योग्य नहीं समझा गया लेकिन न्यायिक परामर्श इस प्रकार अस्थिर रहे हैं कि इनके बारे किसी को पूरा निश्चय नहीं होता था। जब कभी भी संसद ने समाजोत्थान की योजनायें बनायीं तो न्यायपालिका ने इसमें बांधाय डालीं और इस हेतु अपने पहले निर्णयों के प्रतिकूल भी निर्णय दिए। यह बात बहुत विचित्र है कि देश में ऐसे राजनैतिक दल हैं जो उस समय तस्करों की भी सहायता के लिए दौड़े, जब सरकार ने उन पर आंसुका लागू किया। इन परिस्थितियों में कानून बिलकुल पूर्ण होना चाहिए और उस हेतु यह संशोधन जरूरी है।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : वर्तमान संविधान संशोधन विधेयक में संविधान के सर्वाधिक संशोधन हैं लेकिन इसका विषय इतना लम्बा चौड़ा नहीं है।

अनुच्छेद 391 का अर्थ किसी अधिकार का उललंघन नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि नागरिकों को अपने मूल अधिकार प्राप्त करने के लिये न्यायालय तक पहुंचने से रोक दिया गया है। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 19 के संदर्भ में बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति को घोषणा के तुरन्त बाद से ही मूल अधिकार निलंबित हो गये हैं। लेकिन संविधान के भाग III के मूल अधिकारों के बारे में यह समझा गया कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति वाले खंड होने चाहिये जैसे कि ब्रिटेन में है। लेकिन अभी तक क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कोई अधिनियम पास नहीं किया गया है। अत: इस प्रकार के खण्ड का होना बहुत जरूरी है। इस संशोधन द्वारा संविधान की इस कमी को पूरा किया गया है। संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की तरह सीमित है। राष्ट्रपति के इस प्रकार के सभी मामलों में अनुच्छेद 74 (1) के अन्तर्गत मंत्री परिषद् तथा प्रधान मन्त्री के परामर्श के अनुसार काम करना पड़ता है। वास्तव में इस बारे में कोई कार्यवाही करने के लिये राष्ट्रपति की स्वेच्छा के लिये कम गुंजाइश होती है। वास्तव में अनुच्छेद 352 को ही सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत संतुष्टि समझना चाहिये। यह अनुच्छेद 74(1) तथा (2) के अन्तर्गत भी आ जाता है। राज्यपालों के बारे में अनुच्छेद 163 तथा 164 के अतर्गत भी इसी प्रकार के प्रावधान हैं। विधि मंत्री ने विधेयक पेश करते हुए कहा है कि किसी भी न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा है। कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की संतुष्टि वाद–योग्यता तक सीमित नहीं की जा सकती। संविधान में इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि जब कभी भी आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति तथा सम्बन्धित अधिकारियों को कारणों का उल्लेख भी करना चाहिये। उस दृष्टि से भी यह स्पष्ट हो गया कि इसका उद्देश्य वादयोग्य बनाना नहीं है। वास्तविकता यह है कि ऐसा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की संतुष्टि के अनुसार ही किया जाना चाहिये।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri-Garhwal): This bill aims at curbing the activities of such anti-national forces which want to disrupt the unity of country. These anti-social elements were misusing their fundamental rights and there could be no improvement in the situation without checking their activities. It seems that some foreign countries were also behind this conspiracy of these anti-national forces. All communal, violent and anti-national forces had gathered under the umbrella of Shri Jaiprakash Narain.

British Press has openly started propaganda against India after the proclamation of emergency. It is of no use to continue as member of the commonwealth when England is making propaganda against us.

Though my hon. friend Shri Tridib Choudhury has championed the cause of freedom of Press, but it is an open fact that the Press has been indulging in baseless and vicious propaganda and has been extending support to those forces responsible of disruption and rising prices, under these circumstances, how freedom of Press can be allowed.

It is good that 26 fascist parties have been banned. But that is not enough. It is essential that restrictions should also be imposed on those political parties which are in collusion with these fascist parties.

I extend my full support to the Bill.

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक अविवादस्पद विधेयक है। इस में केवल इतना कहा गया है कि खण्ड (1) में उल्लिखित राष्ट्रपति की संतुष्टि अन्तिम और निर्णायक होगी तथा उसे किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी। वस्तुतः संतुष्टि एक मानसिक विषय है। इस मामले में राष्ट्रपति को यह अबाध अधिकार दिया गया है कि वह यह संतुष्ट होने पर कि अमुक प्रकार की परिस्थितियां मौजूद हैं, सविवेक से कार्यवाही कर सके। इस लिये यह केवल एक स्पष्टीकारक विधेयक है। इस से न्यायपालिका के किसी भी अधिकार को समाप्त नहीं किया गया है। इस के विपरीत यदि न्यायपालिका "संतुष्टि" शब्बदावली को परिभाषित करके राष्ट्रपति के अधिकार को समाप्त करना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोका गया है।

मुझे खेद है कि विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। यह विधेयक केवल स्पष्टीकरण के लिये लाया गया है ताकि कोई न्यायालय में न जा सके और अनावश्यक रूप से न्यायालय का समय बर्बाद न हो।

मेरे माननीय मित्र श्री शमीम ने कहा है कि आपात की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं कहता हूं कि इस की बहुत आवश्यकता है। यदि हम प्रगति चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। हम सुधार करना चाहते थे परन्तु विपक्ष के कुछ तत्व वातावरण को खराब करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। वे ऐसी स्थिति पैदा करने का प्रयास करते रहे जिस से जनता का सरकार पर से विश्वास उठ जाये। अतः प्रगति के हित में यह आवश्यक है कि स्थिति में सुधार किया जाये और ऐसा वातावरण बनाया जाये जिस से जनता का निर्वाचित सरकार में पर्याप्त विश्वास हो। सरकार में अविश्वास पैदा करना और ऐसी भावना फ़ैलाना कि यह सरकार कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है, सर्वथा अवांछनीय है। विपक्ष ने अराजकता फ़ैलाने का प्रयास किया और वे समझते थे कि

इसकी आड़ में हम सत्ता हथिया लेंगे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का आपात की घोषणा करना सर्वथा उचित है।

यह कहा गया है कि स्वतन्त्रता को कम कर दिया गया है। परन्तु किस की स्वतन्त्रता को कम कर दिया गया है? क्या जनसाधारण को समाचारपत्रों के माध्यम से अपनी आवाज उठाने का कोई अवसर प्राप्त था? विपक्ष जिस स्वतंत्रता की बात कह रहा है, वह बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त थी और जनसाधारण की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के लिये यह जरूरी था कि उन मुट्ठी भर लोगों की स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जाये।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ गहा गया है। परन्तु भ्रष्टाचार की दुहाई देने वाले वही लोग हैं, जो सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और जब वे सरकार में थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। वस्तुतः विपक्ष असंगत बातें कर रहा है। अल्पमत में होने के कारण वह निराश हो गया है और उसी निराशा के कारण अराजकता फ़ैला कर सत्ता हथियाना चाहता है। सरकार ने सही कार्यवाही की है मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali): Mr. Chairman, Sir, this is an innocent and non-controversial Bill. In democracy, it is not proper that the ordinance issued by the President, who is elected by the elected representatives of the people and who acts on the advice of the cabinet consisting the elected representatives of the people, is struck down by a single Judge in the court of law. This measure is quite in order and it should have been brought much earlier.

It is a perfect legislation and it does not contain any new features. The judges are also social human beings and it is quite possible that there might be vested interests among them. But their verdict has to be accepted, whereas the decisions of the popular Government are struck down by them. Being the elected representatives of the people it is our right to have the last say in the governance of the country. In my opinion still many changes are desirable in our Constitution and so a comprehensive view should be taken about all the amendments in the Constitution.

I fully support the Bill.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur): Mr. Chairman, Sir, the amending bill brought by the Law Minister is quite important one. I would refer only to the political aspect thereof. I do not want to say anything about the courts. We have full confidence in them. It is not our intention to curtail the powers of the court. It is wrong to say that we are curtailing the powers of the courts. But we have to judge the situation as it exists at present. Numerous changes have taken place during the past and are taking place at present and provisions have to be made to deal with the new situation.

The new amendment is quite proper and it has been brought to deal with the new situation. It is essential for bringing the economic revolution which we want and moreover it is essential to implement the 21 point programme announced by the Prime Minister. We do not want to touch the Common citizen but we only want to deal with those undesirable elements who are trying to shatter the economy of the country. This bill has been brought here with a view to strengthen the democracy in the country and there, I support the Bill.

Shri Chander Bhal Mani Tiwari (Balrampur); Mr. Chairman, Sir there is no new feature in the Constitution (39th Amendment) Bill brought by the Law Minister. It is our right to amend the Constitution and there is nothing wrong in it. The bill has been brought to deal with lawlessness, violence and indiscipline

[Shri Chander Bhal Mani Tiwari]

in the country. It was essential to bring this bill in order to curb these forces. The opposition did not like this and that is why they have boycotted the Parliament. We are not making any encroachment on the rights of the Supreme Court or the people. On the other hand the opposition was indulging in undemocratic activities and they were openly instigating the police and army for revolt. It is against the democratic norms to instigate the police and army for revolt against the official machinery.

The situation turned such as ugly shape that there was no option for the Prime Minister except imposing restrictions of such forces which were out to destroy the rule of law. The restrictions so imposed by the Prime Minister have yielded good results. The situation has improved a lot.

It is in this context that this amendment has been brought and so this deserves our support.

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासोर) : महोदय, शायद समूचा देश ऐसी स्थिति की प्रतीक्षा कर रहा था, जब कि उसे आपात् से गुजरना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि यह आपात् जारी रहेगी, ताकि सामान्तवादी अर्थ व्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था में बदला जा सके।

वर्ष 1971 में आपात की घोषणा करने के समय हमें इस बात को समझ लेना चाहिये था कि निहित स्वार्थ लोकतन्त्री शक्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं तथा उसी समय वर्तमान स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिये था तथा यह संशोधन लाया जाना चाहिये था ताकि इस समय जो स्थिति पैदा हुई है, वह पैदा ही न होती।

यह देखना राष्ट्रपति का काम है कि बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आपात् स्थिति लागू करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में संतुष्टि होना बहुत आवश्यक है और इसी लिये यह विधेयक लाया गया है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी न्यायालय में किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जायेगी।

हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि बाहरी खतरा अभी बना हुआ है। शिमला समझौता के बाद भी पाकिस्तान के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम देखते हैं कि वह अभी भी हथियार प्राप्त कर रहा है। चीन के रवैये में भी बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि निहित स्वार्थों ने सिक्किम में क्या किया। इस लिये हम कह सकते हैं कि हमें बाहरी शक्तियों से खतरा है तथा हम यह भी जानते हैं कि आंतरिक निहित स्वार्थ देश में हमारी स्वतन्त्रता और प्रगति की गति में बाधा डाल रहे हैं। श्री जयप्रकाश नारायण एक प्रतीक मात्र हैं। उन का रवैया जीवन भर नाकारात्मक रहा है। वह जेल में हैं। परन्तु अन्य बहुत से तत्व जो हमारी स्वतन्त्रता के लिये खतरा हैं अभी भी बाहर हैं। इसलिये यह आपात् जरूरी है।

न्यायालय में तो सभी प्रकार के लोग---चोर, डाकू, लुटेरे, तस्कर आदि जाते हैं, क्योंकि वे यह समझते हैं कि उन्हें वहां हर प्रकार की राहत मिल जायेगी। इसीलिये तो जब तस्करों को न्यायालय द्वारा छोड़ा गया तो सरकार देखती रही। अतः यह जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों की है कि वह यह सुनिश्चित करे कि असामाजिक तत्वों को न्यायालय से राहत प्राप्त न हो। इसीलिये यह संशोधन लाया गया है।

हम गम्भीर समय से गुजर रहे हैं तथा समाजवाद लाने के लिए यह जरूरी है कि कुछ रोक लगाई जाये, क्योंकि हम जो कोई जो भी बोलना चाहे अथवा लिखना चाहे उसे ऐसा करने का अबाध अधिकार नहीं दे सकते ।

इस संशोधन से उन बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा, जो अब तक हल नहीं हो पाई थीं । हम शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाने का विचार कर रहे हैं तथा गरीब छात्रों को राहत देना चाहते हैं । परन्तु अभी तक कुछ नहीं कर सके । इस संशोधन का उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन लाना है । अतः यदि हम सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आपात स्थिति को जारी रखा जाये, जिससे निहित स्वार्थ सिर न उठा सकें ।

श्री के० नारायण राव (बोबिली) : महोदय, मैं अपना कथन अनुच्छेद 359 के प्रस्तावित संशोधन तक ही सीमित रखूंगा । यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हैं तथा इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिये था । इसे माखनलाल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के तुरन्त बाद लाया जाना चाहिये था । इस समय जैसा कि संविधान में उपबन्धित है अनुच्छेद 19 तथा अन्य मूलभूत अधिकारों में मामूली सा अन्तर है । जहां तक अनुच्छेद 19 का सम्बन्ध है आपात की स्थिति में कार्यपालिका की किसी कार्यवाही में वह आड़े नहीं आ सकता । परन्तु अन्य मूलभूत अधिकारों के बारे में ऐसा नहीं है । वे अधिकार मौजूद रहते हैं परन्तु उनको पाने की सुविधा निलम्बित की जा सकती है । आपात स्थिति समाप्त होने पर सामान्य नागरिक न्यायालय में जाकर समाधान प्राप्त कर सकता है । यदि इसकी अनुमति अब दी जाती है, तो राजकोष को उसका सामना करना कठिन हो जायेगा । इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि यह उपाय बहुत पहले किया जाना चाहिये था तथापि यह स्वागत योग्य है तथा सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है, जब कि हमें समूचे संविधान के कार्यचालन पर पुनर्विचार करना चाहिये । इस लिये मैं सुझाव देता हूं कि इस बारे में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये ।

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur): The Bill brought by the Law Minister deserves our support, because it has been brought in accordance with the basic principle of democracy that the Government should run according to the will of the people. This bill represents the feelings of the people.

This bill has been brought with the intention that in case the President is satisfied that a certain situation exists and he declares emergency under Article 123, his satisfaction cannot be challenged in any case in any court. The provision already existed in the Constitution. This bill has been brought only to further clarify the position, because if the President declares emergency and the matter is challenged in a court of law, it creates a situation which can be dangerous for the whole country. So it was thought proper that Article 123 of the Constitution which applies to the whole of the country should be amended. Similarly Articles 213 and 239(B) which relate to the States and the Union Territories respectively are also being accordingly amended. All these amendments are welcome.

It has been rightly suggested by one of my hon. friends that now time has come when we should have a reconsideration about the entire Constitution. I support his view. We should have a reconsideration about the entire Constitution in view of our 25 years of experience and remove all the shortcomings that stand in the way of proper functioning of democracy instead of amending this Article or that Article of the Constitution. Let an expert Committee be set up for this purpose.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): महोदय, सत्ताधारी पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों द्वारा मेरा कार्य बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि मुझे अब उन बातों का सविस्तार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, जिनका मुझे अन्यथा सविस्तार उल्लेख करना पड़ता ।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए]

[**Shri Vasant Sathe** *in the chair*]

जैसा कि मैंने अपने पहले भाषण में कहा था तथा जैसा कि वाद-विवाद में भाग लेने वाले अनेक सदस्यों ने दोहराया है, संविधान के कई उपबन्धों का संशोधन करने वाले इस वर्तमान विधेयक के द्वारा हम उच्चतम अथवा भारत के किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर कोई सीमा लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ।

वस्तुतः इस विधेयक के द्वारा जिन अनुच्छेदों अर्थात् अनुच्छेद 123, 213, 352, 360, 239ख और 359 का संशोधन करना है, वे भिन्न प्रकार के हैं । संविधान के लागू होने से पहले भारत सरकार अधिनियम, 1915, भारत सरकार अधिनियम, 1919 तथा अन्ततः भारत सरकार अधिनियम, 1935 में भी यह व्यवस्था थी कि राजनीतिक महत्व के मामलों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाये ।

यदि किसी बाहरी आक्रमण के कारण आपात स्थिति की घोषणा की जाती है, तो केवल सरकार ही यह जान सकती है कि खतरा कितना और कैसा है ? क्या कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह सोच सकता है कि विदेशी शक्तियों से होने वाले खतरों से सम्बन्धित सरकार के पास उपलब्ध जानकारी को जांच के लिये खुले रूप से न्यायालय के समक्ष रखा जाये ? ये सब बातें खुले तौर पर नहीं बताई जा सकतीं ।

ऐसा ही मामला आन्तरिक गड़बड़ी के खतरे का है, फिर वह चाहे देश भर के लिये हो अथवा इसके किसी भाग के लिये । आपात स्थिति की घोषणा से सब से अच्छी सुरक्षा पहले ही से विद्यमान है । उसे समाप्त नहीं किया जा रहा है । वह संरक्षण यह है कि इस प्रकार की आपात स्थिति को संसद् का समर्थन प्राप्त करना होगा ।

आपात स्थिति लागू करना क्यों सही है इससे सम्बन्धित वे तथ्य जनता के सामने रखे जा चुके हैं, जो उन्हें बताये जा सकते थे । परन्तु कुछ ऐसे भी तथ्य हो सकते हैं, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से जनता के सामने नहीं रखा जा सकता । यदि इसको न्यायालय में ले जाया जाता है तो अनुमान लगाना कठिन है कि भारत की सुरक्षा को चाहे उसे बाहरी आक्रमण का खतरा हो अथवा आन्तरिक गड़बड़ी का, कैसे कायम रखा जा सकता है । इस कारण न्यायालयों ने स्वयं अपने क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया है कि इन मामलों की न्यायिक जांच नहीं की जानी चाहिये ।

जहां तक अध्यादेश जारी करने की बात है संविधान में पहले ही यह उपबन्ध मौजूद है कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि ऐसी स्थिति विद्यमान है कि तुरन्त कार्यवाही की जाये, अध्यादेश जारी कर सकता है, परन्तु अध्यादेश को निश्चित अवधि के अन्दर संसद की विधि द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक है । इस अनुच्छेद के उपबन्ध ही इस प्रकार के हैं कि इन्हें न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाये । संविधान के लागू होने के समय से ही कुछ मामले न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए थे ।

यदि मैं उन सभी मामलों का उल्लेख करूं तो इसमें काफी समय लग जायेगा। संविधान में इस तरह के कम से कम 18 अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में निहित मामले ऐसे हैं जिन पर न्यायिक जांच नहीं हो सकती। किसी ने भी यह शिकायत नहीं की कि ये किये गए संशोधन ठीक नहीं थे। मैं एक माननीय सदस्य के इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं कि यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण करने का प्रयास है। या इससे न्यायालयों के अधिकार छीने जा रहे हैं। यह शक्ति दुरुपयोग के लिये नहीं ली जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इस आपात स्थिति का लाभ उठाकर यह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। यह एक साधारण सी बात है कि इस विधेयक को पेश करने के लिए आपात स्थिति की घोषणा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आपात स्थिति से उत्पन्न बातों का सामना करने के लिए इस संविधान संशोधन विधेयक का पेश किया जाना आवश्यक हो गया था। इस बारे में अधिक स्पष्टीकरण की कोई अवश्यकता नहीं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में Ayes	340	विपक्ष में Noes	1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे। चूंकि कोई संशोधन नहीं है, मैं खण्ड 2 से 8 तक को एक साथ रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 8 तक विधेयक का अंग बने ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

सभापति महोदय : मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :—

पक्ष में Ayes		विपक्ष में Noes	1

*इस मत विभाजन का परिणाम 2 से 8 तक के प्रत्येक खंड पर पृथक रूप से लागू होगा।

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2 से 8 तक को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 to 8 were added to the Bill.

खंड 1

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में,—"(Thirty-ninth Amendment) (39 वां संशोधन)" **के स्थान पर** "(Thirty-eighth Amendment) (38 वां संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाये । (1)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में—"(Thirty-ninth Amendment) (39वां संशोधन)" **के स्थान पर** "(Thirty-eighth Amendment) (38वां संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में / Ayes 315   विपक्ष में / Noes 2

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

"That Clause 1, as amended stand past of the Bill."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

"अधिनियम सूत्र तथा शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।"

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये "

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided:

पक्ष में / Ayes 342 — विपक्ष में / Noes 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें (पांडिचेरी), 1975-76

DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY), 1975-76

सभापति महोदय : पांडिचेरी के सम्बन्ध में वर्ष 1975-76 के लिये अनुदानों की निम्नलिखित मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं :—

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	विधान सभा	2,88,000	
2.	प्रशासक	6,000	
3.	मंत्रि परिषद्	3,25,000	
4.	न्याय प्रशासन	8,51,000	
5.	निर्वाचन	2,58,000	
6.	राजस्व	28,02,000	
7.	विक्रय कर	4,46,000	
8.	गाड़ियों पर कर	94,000	
9.	सचिवालय	12,23,000	

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
10.	जिला प्रशासन	25,48,000	6,01, 000
11.	राजकोष और लेखा प्रशासन	8,21,000	
12.	पुलिस	46,08,000	
13.	जेलें	2,35,000	
14.	लेखा सामग्री और मुद्रण	7,30,000	
15.	विविध प्रशासनिक सामान्य सेवाएं	5,11,000	
16.	सेवा निवृत्ति लाभ	12,94,000	
17.	लोक निर्माण	1,22,76,000	79,62,000
18.	शिक्षा	1,93,49,000	19,000
19.	चिकित्सा	99,59,000	
20.	सूचना और प्रचार . .	5,02,000	
21.	श्रम और रोजगार	7,31,000	
22.	समाज कल्याण	31,86,000	17,000
23.	सहकारिता .	10,50,000	7,45,000
24.	प्रकीर्ण साधारण आर्थिक सेवायें . .	4,65,000	
25.	कृषि . . .	51,81,000	3,40,000
26.	पशु पालन	10,06,000	1,17,000
27.	मीन उद्योग .	26,26,000	30,000
28.	सामुदायिक विकास .	21,31,000	49,000
29.	उद्योग	5,28,000	7,29,000
30.	खाद्य और पोषण	1,72,000	
31.	विद्युत् .	1,18,75,000	53,43,000
32.	पत्तन और नौचालन .	2,64,000	171,000
34.	सरकारी कर्मचारियों को ऋण . .	. .	16,73,000

***श्री एम० कतामुतु** (नागपट्टिनम) : पांडिचेरी राज्य में निर्वाचित सभा नहीं है। आपात स्थिति की उद्घोषणा तथा प्रधान मंत्री द्वारा आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा के बाद ऐसा संदेह होता है कि नौकरशाही इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं करेगी।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version leased on English translation of the speech delivered in Tamil.

इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्थिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन केवल सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है । निर्वाचित सभा की अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार के लिए यह और भी आवश्यक है कि वह सभा से इस बारे में विद्यमान अधिनियम में आवश्यक संशोधन पारित करा ले ताकि पांडिचेरी में अधिनियम के कार्यान्वयन के समय अनुचित दोष न दिखाई दे ।

पांडिचेरी में खेतिहर मजदूरों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं । फिर खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी का भी प्रश्न सामने है । मजदूरों से बेगार लेने की प्रथा को समाप्त करना होगा । यदि ग्राम जनता के हितार्थ उनकी इन समस्याओं को सरकार दूर करना चाहती है तो उसे या तो पांडिचेरी में शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन कराना होगा अथवा सम्बद्ध विधान में इस सभा से संशोधन पारित कराने होंगे ताकि यह विधान पांडिचेरी में निर्वाचित सभा की अनुपस्थिति में कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सके । पांडिचेरी के लोगों की समस्याओं पर मंत्री महोदय को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ।

पांडिचेरी कावेरी के जल पर निर्भर है लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि कावेरी जल विवाद के संबंध में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हुई बातचीत मे पांडिचेरी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया । इसी प्रकार कावेरी घाटी प्राधिकरण में भी पांडिचेरी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । पांडिचेरी में छोटी सिंचाई के लिए दी जाने वाली राशि प्रति वर्ष घटाई जा रही है । पांडिचेरी में अत्यधिक जलाभाव की समस्या है । पांडिचेरी के लोग कई वर्षों से वहां एक तापीय बिजली घर बनाने की मांग पर रहे हैं । गत मार्च को जबकि इस सदन में पांडिचेरी बजट पर चर्चा हो रही थी तो मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि चालू वित्तीय वर्ष में पांडिचेरी में तापीय बिजली घर की स्थापना का मामला लिया जायेगा किन्तु अभी तक इस मामले में प्रारम्भिक कार्य-वाही भी नहीं की गई है । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चालू वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले पांडिचेरी में एक तापीय बिजली घर की स्थापना हो जाये ।

पांडिचेरी में उपराज्यपाल के प्रशासन ने एक सूत्रीय बिक्रीकर को अनेक सूत्रीय बिक्रीकर में परिवर्तित कर दिया है । इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं और इस कारण पांडिचेरी के लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें । जहां तक पांडिचेरी के स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का प्रश्न है, यह आश्वासन दिया गया था कि इस मामले को शीघ्र निपटाया जायेगा लेकिन इस दिशा में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है । अतः स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन के मामले को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाये ।

फिर पांडिचेरी में भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को भी कार्यान्वित करने का प्रश्न है । भारत सरकार,को पांडिचेरी के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : क्षेत्रीय दृष्टि से पांडिचेरी राज्य में एक रूपता नहीं है । इसका एक भाग केरल के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल है । ऐसी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में वह भाग जो केरल में चला गया है , उपेक्षित रह गया है । लेकिन यह तथ्य कि पांडिचेरी एक छोटा राज्य है, उसे उसके तीव्र विकास का अवसर देने से नहीं रोक सकते ।

पांडिचेरी राज्य में तो नहीं अपितु उसके निकट के अरुविले नगर पर विश्व के लोगों का ध्यान केन्द्रित है । अरुविले की सफलता की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है । इस अवसर का लाभ उठाकर सरकार को पांडिचेरी राज्य को आदर्श राज्य बनाने के जो कुछ भी वित्तीय तथा अन्य सहायता की आवश्यकता पड़े देनी चाहिए । अरुविले नगर और आश्रम को

गतिविधियों को इस क्षेत्र को एक नई जिन्दगी देनी चाहिए । पांडिचेरी के विकास के उद्देश्य से इस ओर ध्यान देना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को पांडिचेरी में सभी परियोजनाएं विशेषकर प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना चाहिए ।

माहे, जो एक छोटा अन्तः क्षेत्र है उसमें एक कपड़ा मिल है । यह मिल विस्तार को ओर उन्मुख है किन्तु इसकी कुछ समस्याएं हैं । मंत्री महोदय को इसकी समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए ।

माहे में एक अच्छा मत्स्य पत्तन है । वहां कई यंत्रीकृत नौकाएं भी हैं । यदि उस पत्तन का विकास कर दिया जाये तो उस क्षेत्र का काफी सुधार हो सकता है । माहे के लोग काफी निर्धन हैं । यदि वहां की सूती कपड़ा मिल और मत्स्य पत्तन का विकास कर दिया जाये तो वहां के लोगों की बेरोजगारी काफी हद तक दूर हो जायेगी ।

वहां समुद्रीय भू-कटाव की भी समस्या है । वहां प्रत्येक वर्ष समुद्र के पानी के बहाव से भूकटाव होता है, इसे रोकने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए और वहां की भूमि को प्रति वर्ष भूकटाव से रोका जाना चाहिए । पांडिचेरी में फ्रांसीसी संस्कृति की भी सुरक्षा की जानी चाहिए । पांडिचेरी में कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई वर्षों तक कारावास का दंड सहन किया लेकिन उन्हें कोई भी राजनीतिक पेंशन नहीं दी गई । वे बेरोजगार हैं । मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें ।

श्री अरविन्दबाल पजनौर (पांडिचेरी) : पांडिचेरी में विधान सभा नहीं है और न ही फिर उसके गठन के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ।

जब आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई तो हमने सोचा कि यह कार्यक्रम जनसाधारण तक पहुंचेगा । पांडिचेरी के वर्तमान प्रशासन द्वारा वहां के लोगों को इसका कुछ और ही रूप बताया जा रहा है । लोगों की यह गलत धारणा है कि आपात स्थिति की घोषणा आम जनता को तंग करने तथा उसका दमन करने के लिए की गई है । ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री के आदर्श विचार आम लोगों तक नहीं, पहुंचा सकेंगे । यदि प्रधान मंत्री की पांडिचेरी की पिछली यात्रा के दौरान उचित बैठकों का आयोजन किया जाता तो बेहतर होता और इससे पांडिचेरी के लोगों को स्थिति का कोई और ही रूप दिखाई देता ।

इस आपातकालीन स्थिति से अधिकारियों और क्लर्कों की शक्तियां बढ़ गई हैं । उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए और जन साधारण के लिए कार्य करना चाहिए । पांडिचेरी को एक पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया था । लेकिन इस पिछड़े क्षेत्र के लिए केवल ऊपरिव्यय मिलता है । गत एक वर्ष के दौरान लगभग 13 करोड़ रुपये इसी मद पर व्यय किए गए । पांडिचेरी के लोगों का वास्तविक विकास नहीं हो रहा है । अन्य राज्यों की तुलना में पांडिचेरी को केन्द्रीय सरकार से बहुत बड़ी राशि का नियतन होता है किसी क्षेत्र का विकास नियत की गई राशि के अनुपात से ही होना चाहिए । पांडिचेरी के प्रशासन द्वारा सारा पैसा व्यय हो रहा है । आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है ।

कावेरी घाटी प्राधिकरण का उल्लेख किया गया है । यह प्राधिकरण अब कार्य नहीं कर रहा है । जहां तक जल वितरण का सम्बन्ध है, इसके लिए हमें तमिलनाडु पर निर्भर रहना पड़ता

है । विश्वविद्यालय के मामले में भी हमें तमिलनाडु पर ही निर्भर रहना पड़ता है । प्रशासन के लिए हमें दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ता है ।

स्वर्गीय नेहरू ने आश्वासन दिया था कि पांडिचेरी के लोगों को प्रशासन में उचित अनुपात के अनुसार स्थान दिए जायेंगे । बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार उन्होंने कहा कि 65 में से 16 स्थान पांडिचेरी के लोगों को दिए जायें । मंत्री महोदय इस बात की जांच करें ।

मैं 21 सूत्री कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार का धन्यवाद करता हूं । इससे पाण्डिचेरी को भी लाभ हुआ है । सदस्यों को पाण्डिचेरी की समस्याओं का अध्ययन करके उन पर चर्चा करनी चाहिए । पाण्डिचेरी में राष्ट्रपति का शासन 28 सितम्बर को समाप्त हो रहा है । नागालैंड की तरह यहां पर भी राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाना चाहिए । वित्त राज्य मंत्री को संघ राज्य क्षेत्रों का 2 या 3 महीने में एक बार दौरा करना चाहिए । सारा प्रशासन कुछ एक लोगों पर नहीं छोड़ना चाहिए । आंसुका की कई तरह से दुरुपयोग हो सकता है । जन साधारण ग्रामीण लोगों और छोटे दुकानदारों को परेशान किया जाता है । अब सरकार आपात स्थिति में अधिक्रमण के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है । नौकरशाही अफसर सोच रहे हैं कि वे आपात के अन्तर्गत दी गई अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं । ऐसा नहीं होना चाहिए हमें ठीक समय पर कार्य करना चाहिए ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : वर्ष 1974-75 की तुलना में पांडिचेरी की वार्षिक योजना तथा केन्द्र द्वारा चलाई गई विकास परियोजनाओं के लिए कुछ अधिक राशि निर्धारित की गई है । हम कुछ अधिक संसाधन भी जुटा सके हैं ।

पांडिचेरी के राज्यपाल और वहां के कुछ अधिकारियों की आलोचना की गई है । मेरा विचार यह नहीं है कि अधिकारियों द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ठीक ही है । परन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विकास कार्यों तथा अभूतपूर्व सूखा के बाद सामान्य स्थिति लाने में सरकार ने सराहनीय कार्य किया है ।

मूल्यों में कमी करने का प्रश्न अखिल भारतीय प्रश्न है । वहां पर उचित दर की अनेक दुकानें खोली गई हैं और राशनिंग व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है । आन्तरिक संसाधनों के बारे में कोई अधिक काम नहीं किया जाना है । प्रत्येक विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करना पड़ता है । हमारे अपने संसाधन भी अधिक सन्तोषजनक नहीं हैं । अत : हमें इन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही चलना है । सम्भव है कि केन्द्रीय अथवा स्थानीय प्रशासन में कुछ त्रुटियां हों लेकिन हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम इन त्रुटियों को दूर करें ।

केन्द्रीय परियोजनाओं के बारे में कहा गया है कि इनमें कोई प्रगति नहीं हुई है । अभी ये परियोजनायें बनकर तैयार नहीं हुई हैं, परन्तु सरकारी तौर पर यह प्रगति हुई है कि परियोजना रिपोट तैयार हो चुकी है । इन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति दी जानी है । थर्मल बिजली घर अथवा पत्तन परियोजना राज्य के अपने संसाधनों से स्थापित नहीं किया जा सकता । इसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा और इस पर विचार किया जा रहा है ।

जहां तक स्वतन्त्रता सैनानियों की पेंशन और मेडिकल कालेजों में छात्रों के प्रवेश और प्रशिक्षण आदि की समस्याओं का सम्बन्ध है ये अन्य विभागों से संबंधित हैं और अनुपूरक मांगों तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सम्बन्धित मंत्रालयों को इस बारे में सूचित कर दिया जायेगा ।

[श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए
Shri G. Viswanathan in the Chair]

जो प्रश्न यहां पर उठाये गए हैं हम उन पर विचार करेंगे। लोगों की अपनी समस्यायें हैं और उनका समाधान किया जाना है। आश्रम ने पाण्डिचेरी को विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया है। आश्रम के और अधिक विकास से वहां के लोगों की समस्यायें हल नहीं हो जायेंगी। हमें देश के प्रत्येक भाग का विकास करना है।

वर्ष 1975–76 की पांडिचेरी सम्बन्धी मांगें––संख्या 1 से 32 और 34––मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The demands in respect of Demand Nos. 1 to 32 and 34 in respect of Pondicherry for the year 1975-76 were put and adopted.

पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1975–76

PONDICHERRY APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1975-76

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975-76 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिए पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कुछ राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक

CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि तस्करी निवारण और विदेशी मुद्रा संरक्षण हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं । दिसम्बर, 1974 में तस्करी, विदेशी मुद्रा की चोरी तथा अन्य ऐसी गतिविधियों से सम्बन्धित लोगों को नजरबन्द करके निष्क्रिय बनाने के लिए संसद ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 पास किया था । केन्द्र और राज्य सरकारों ने स अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत सैकड़ों लोगों को पकड़ा । इनमें से कुछ लोगों को नजरबन्दी को देश के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई । इन लोगों द्वारा चोरी छिपे अपनी गतिविधियां चलाने और इसके परिणामस्वरूप न्यायालयों में पेश करने के लिए ठोस प्रमाण पेश करने में होने वाली कठिनाइयों के कारण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े जाने के आदेशों को रद्द कराने में सफल हो गए ।

अधिनियम को विशेष प्रकार के लोगों के विरुद्ध लागू किये जाने तथा उनके द्वारा अपनी गतिविधियों को चोरी छिपे और नियोजित रूप से करने के कारण यह स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया कि

एक या दो आधारों को ग्राह्य न माने जाने पर भी उन्हें अनायास ही नहीं छोड़ा जा सकता, जिससे इन समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को छिन्न-भिन्न करने का सरकार का उद्देश्य असफल न हो।

तस्करी और विदेशी मुद्रा के घोटाले में लगे कुछ लोग अपने बड़े संसाधनों और प्रभाव के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भारी खतरा बन गए थे। वर्तमान आपात स्थिति में इन लोगों की नजरबन्दी के कारणों को बताना और सलाहकार बोर्डों को उसी प्रक्रिया का पालन करना राष्ट्र के हित में नहीं है।

उपरोक्त समस्या के समाधान तथा मामले के महत्व को देखते हुए राष्ट्रपति ने 1-7-75 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 जारी किया। यह विधेयक उसी अध्यादेश के उपबंधों का स्थान लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्रीमती रोजा देशपांडे :(बम्बई-मध्य) : मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं सरकार को तस्करी की बुराई को जो हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिए एक खतरा बन गई है, सामना करने के लिए कई एक कदम उठाने पर बधाई देती हूं। देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्तव्यस्त करना गत चार वर्ष से वास्तव में विरोधी क्रांतिकारियों की राजनीतिक गतिविधि बन गई थी। इसने समानान्तर अर्थ-व्यवस्था खड़ी कर दी है। लोगों में यह धारणा बन गई थी कि सरकार तस्करों को आश्रय दे रही है। हमें मालूम है कि कुछ सरकारी अफसर तथा मंत्रिगण तस्करों का समर्थन कर रहे हैं। शीघ्रता से गिर रही अर्थ-व्यवस्था ने इस धारणा की पुष्टि कर दी है। केवल सरकारी अफसरों ने ही तस्करों को प्रोत्साहन नहीं दिया परन्तु देश में व्याप्त वातावरण और अर्थ-व्यवस्था के खराब होने से तस्करों को मदद मिली है। तथा इससे उन लोगों को भी मदद मिली है जो राजनीतिक कारणों से देश की अर्थ-व्यवस्था को अस्तव्यस्त करना चाहते थे। सोने की तस्करी काले धन को ब्लाक करने के लिए की जाती है। इसी कारण देश में भारी मात्रा में सोने की तस्करी की जाती है।

यदि सरकार लोगों से यह कहती है कि हमें ऐशो आराम का सामान का उत्पादन नहीं करना है तो निश्चय ही जनसाधारण और मजदूर इससे सहमत हो जायेंगे। हमें इस प्रकार के सामान की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति आयातित सामान चाहता है और आयातित वस्तुओं के लिए होड़ सी लगी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आप ऐसी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते? देश में अच्छा माल तैयार न होने के कारण तस्करी होती है। एक हजार रुपए की आय वाला एक सामान्य व्यक्ति अच्छी हाथ की घड़ी अच्छा रेडियो अच्छी किस्म का कपड़ा चाहता है। क्या हमें चीजें मिलती हैं? इस तरह के सामान की बढ़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए प्राइवेट कम्पनियों को लाइसेंस दिये जाते हैं। वे घटिया किस्म का माल उत्पादित करते हैं और उसे मार्किट में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। सरकार फिलिप्स रेडियो कम्पनी से उसी स्तर के रेडियो यहां बनाने के लिए क्यों नहीं कहती जैसाकि वह अपनी मूल कम्पनी में बनाती है। जापानी घड़िया आयात की जाती है। क्या देश में अच्छा माल का उत्पादन सम्भव नहीं है? हम ऐसे सामान का उत्पादन बन्द कर सकते हैं। जिसकी जन साधारण को आवश्यकता नहीं है।

अधिक बीजक और कम बीजक बनाये जाते हैं। बहुत सी कम्पनियां ऐसा करके पैसा बना रही हैं। यदि हम इसे समाप्त नहीं करते तो मात्र उपदेश देने से कुछ होने वाला नहीं है और समस्या का

समाधान नहीं हो सकता। कुछ तस्करों की गिरफ्तारी से स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि कुछ हद तक मंत्रिगण तस्करों की मदद कर रहे हैं। तस्करी हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बुराई है और इसका सामना करने के लिये हमें कुछ मूल उपाय करने चाहिएं और केवल हाजी मस्तान और नारंग को जेल में डाल देने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। देश को बर्बाद करने के प्रयास में लगे इन लोगों को न्यायपालिका द्वारा संरक्षण दिया जाता है। सर्व-सत्ता सम्पन्न संसद् को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि हमें इस बुराई का सामना करने में सावधानी बरतनी होगी। हमें अर्थ-व्यवस्था का तथा लोगों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। तस्करी का हर तरह से सामना करना चाहिए। कम बीजक बनाने और अधिक बीजक बनाने से विदेशी मुद्रा की भारी हानी होती है। यदि सरकार इन गतिविधियों के विरुद्ध कोई कदम उठाती है तो लोग उसमें सहयोग देंगे।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक तथ्या कि देश में तस्करी बहुत जोरों पर है। पहले तस्करी सोने की होती थी और बदले में चांदी व भेजी जाती थी किन्तु अब धीरे-धीरे उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी बढ़ती जा रही है।

माननीय महिला सदस्य ने कहा है कि तस्करी का मुख्य कारण विदेशी वस्तुओं का बढ़िया होना है। लेकिन हमारे देश का सामान घटिया नहीं है बल्कि यथार्थ में बात यह है कि हमने उत्पाद शुल्क बहुत अधिक लगा रखा है। इसलिए बाहर से वस्तुयें चोरी छिपे लाना लाभदायक रहता है। यदि नायलोन आदि का उत्पादन देश में ही किया जाये और उत्पाद शुल्क कम रखा जाये तो इन से बनी वस्तुओं का मूल्य भी कम रहेगा।

तस्करी के फलस्वरूप अनेक छोटे उद्योगों को हानि हुई है। इसके अतिरिक्त जो वस्तुएं पकड़ी जाती है उनके वितरण का तरीका भी दोषपूर्ण है। सीमा शुल्क विभाग उन चीजों की नीलामी करता है। बाद में वही चीजें बाजार में महंगे दामों पर पुनः बेच दी जाती है। यह तरीका बंद किया जाना चाहिए। इन वस्तुओं को तो निर्यात किया जाना चाहिए। उसके लिए निर्यातकों से टेंडर मांगें जा सकते हैं। इस से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। मेरा विचार है कि तस्करों को इस कार्य से रोकने के लिए यही तरीका ठीक रहेगा। तस्करी की चीजों का निपटान करना भी कठिन न रहेगा।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : महोदय मैं इस संशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। विदेशी वस्तुओं की तस्करी, काला बाजार, जमाखोरी और भ्रष्टाचार की नींव बहुत गहरी है। यही चीजें हमारे देश की अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रही हैं। भ्रष्ट लोग ही देश के शत्रु हैं। यदि बड़े बड़े अधिकारी इन लोगों से न मिले हों तो तस्करी नहीं की जा सकती।

तस्करी, जमाखोरी और कालाबाजार करने को पहले सामान्य अपराध मान कर न्यायालयों द्वारा उन्हें साधारण ढंग से निपटाया जाता था। अब इस संशोधन से या तो वे लोग भ्रष्ट तरीके छोड़ देंगे या सारी उमर जेलों में बितायेंगे। समाज के सभी वर्गों ने इस संशोधन करने वाले विधेयक का स्वागत किया है। आम व्यक्ति का खून चूसने वाले इन दरिन्दों को पकड़ कर सरकार ने बहुत अच्छा किया है।

तकस्री का धन्धा गलियों से लेकर आकाश छू रही अट्टालिकाओं तक में किया जाता है। अफसोस की बात यह है कि महिलायें भी तस्करी करती हैं और झूठमूठ नकली विवाह कराती हैं ताकि

तकस्री की जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान कम से कम उन्हें तो यह भ्रष्ट कार्य छोड़ देना चाहिए।

विदेशी मुद्रा भी भारी माला में लाई जा रही है। राजधानी में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऐसा होता है। इस संबंध में उपाय किए जाने चाहिए। बड़े-बड़े तकस्रों की सम्पत्ति स्थायी रूप से छीन ली जाये। विदेशी मुद्रा के अवैध आगमन को अवश्य रोका जाये। क्योंकि तस्करी, जमाखोरी और कालाबाजार करने वालों का परस्पर सम्बन्ध है। आपात स्थिति के दौरान इस सामाजिक, आर्थिक समस्या से भली प्रकार निपटा जा सकता है। आपात स्थिति की समाप्ति के बाद भी इन लोगों क साथ कोई नरमी न बरती जाये।

पाकिस्तान से चोरी छिपे आने वाली मुख्य वस्तुयें हैं अफीम, चरस, बादाम और लौंग तथा भारत से पाकिस्तान को बनारसी साड़ियां, इलायची, पान, मूल्यवान पत्थर और इंजीनियरी के सामान की छोटी छोटी चीजें भेजी जाती हैं यदि हमारे ही देश के लोग मिल कर यह काम न करें तो पाकिस्तानी तस्कर स मा के पार घुसने का साहस नहीं कर सकते। गांव वालों को चाहिए कि उन्हें पकड़ कर सुरक्षा बल के सुपुर्द कर दें। तस्करों से जो हथियार पकड़े गए हैं वे पाकिस्तान में बने हुए हैं और आधुनिक किस्म के हैं। दिल्ली, आगरा, बम्बई और पूना में छापे मारने पर यह पता चला कि करोड़ों रुपयों का अखबारी कागज पड़ौसीं देशों को चोरी छिपे भेजा जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि सरकार तस्करों की गतिविधियों के बारे में सतर्क है लेकिन प्रशासन में सुधार कर उसे गतिमान बनाना आवश्यक है। आधुनिक उपकरणों और गोपनीय 'सेल' की सहायता से विदेशी तस्करों को पकड़ा जाये। सीमा पर कड़ी निगाह रखी जाये क्योंकि पाकिस्तान तस्करों का उपयोग जासूसी के लिए कर सकता है।

श्री चपलेंदु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं पूरी तरह विधेयक का समर्थन करता हूं। दिसम्बर में कई तस्करों को रिहा करना पड़ा क्योंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उनके पक्ष में निर्णय दिये थे और इस तरह तस्करी-विरोधी गतिविधियों में ठहराव आ गया था। वर्तमान राजनीतिक स्थिति के दौरान तस्करों को भी यह अधिकार न दिया जाये कि वह न्यायालयों में जा सकें। इससे तस्करों और उनके मालिकों में भय फैल जायेगा और तस्करी पर काबू पाया जा सकेगा। यदि सीमा शुल्क विभाग के लोग खूब सतर्क रहें तो हम करोड़ों रुपयों की बचत कर सकते हैं। हमें तस्करी के कारण 700 करोड़ से लेकर 900 करोड़ रुपये की हानि होती है। तस्करी, विदेशी मुद्रा की चोरी, मूल्य अधिक या कम करके बताने से अभ्रक के व्यापार में भी काफी हानि होती है। मंगलौर में तीन वर्ष के भीतर मछेरे झोंपड़ियों के स्थान पर पक्के भवन बना सकते हैं, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में तस्करी का धन्धा खूब फल-फूल रहा है।

मैं सरकार की भावना की प्रशंसा अवश्य करता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि हमारे मुख्य ध्येय बड़े-बड़े मुखियों को पकड़ना होना चाहिए। छोटे-छोटे तस्करों या निम्न वर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाने से विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। मुख्य अपराधियों की ओर पूर्ण सतर्कतापूर्वक ध्यान देना आवश्यक है।

जब तक हम वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते तब तक तस्करी विरोधी अभियान सफल नहीं हो सकता। क्योंकि विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षण बना रहेगा। हमारा शासन तंत्र भी दोष रहित हो तभी हम अपनी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ कर सकते हैं।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें जानना चाहता हूं। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारण सम्बन्धी विवरण में कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध नजरबंदी आदेश जारी किये गये थे, रिहा करना पड़ा क्योंकि न्यायालयों द्वारा नजरबन्दी, के कुछ आधार अस्पष्ट, असंगत और अवैध ठहरा दिये गये।

लेकिन कुछ तस्कर न्यायालयों द्वारा दिसम्बर, 74 में रिहा कर दिये गये थे। सरकार यह संशोधन करने के लिये आपात स्थिति की प्रतीक्षा क्यों करती रही? यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वक्तव्य के विवरण में कहा गया है कि "तस्करी, विदेशी मुद्रा की चोरी तथा सम्बद्ध गतिविधियां राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर घातक प्रभाव डालती हैं।" लेकिन हम संशोधन करने वाले विधेयक को आपातकालीन स्थिति तक ही प्रभावी क्यों रखना चाह रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि तस्करी के मामले सलाहकार बोर्डों को सौंपने पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जो हमेशा के लिये हो न कि किसी विशेष अवधि के लिये। जब हमें पता है कि तस्करी तथा आर्थिक अपराधों से देश की अर्थ-व्यवस्था की हानि होती है तो इस विधेयक में केवल 12 मास की अवधि ही क्यों निश्चित की गई है?

मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। सम्भवतया आपातकालीन स्थिति बनी रहेगी लेकिन कभी न कभी तो स्थिति सामान्य होगी चाहे वह दस वर्ष बाद हो। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले की पूर्ण जांच करे और प्रत्येक व्यक्ति को समुचित न्याय मिले लेकिन हाजी मसतान जैसे लोगों के मामले बोर्ड को न सौंपे जायें। तस्करी गतिविधियों का निवारण सदा के लिये किया जाना चाहिए।

माल की कीमत कम करके बताने और अधिक बताने के मामलों पर भी ध्यान दिया जाये। यह भी तस्करी जितना बुरा कृत्य है। विधेयक में इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है। शायद सरकार बड़े-बड़े लोगों और कम्पनियों पर हाथ नहीं डालना चाहती। सरकार को इस दिशा में भी उपाय करने चाहियें। लेकिन चूंकि यह एक अच्छा विधेयक है अतः सरकार बधाई की पात्र है। अनुच्छेद 122 का भी संशोधन किया जाना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali): An Act had been passed in 1974 and now you have brought forward an amendment to that saying "The effective administration and realisation of the purposes of the Act have been rendered difficult by reasons of the clandestine manner in which the persons engaged in these operations carry on their activities and the consequent difficulty in securing sufficient evidence to comply with the rigid standards insisted upon by courts."

But a bad workman always quarrels with his tools. Your machinery is not up-to-date. It is faulty. Why valid reasons were not given for the arrests of smugglers.

The Customs officials have amassed huge wealth by corrupt and questionable means. Many of them are definitely corrupt. Have you conducted any enquiry into the properties or acquisitions of Custom officers who have acquired huge wealth? I, therefore, demand that an investigation should be made into the wealth and properties of all custom officers and those found guilty should be punished.

We should realise that the provisions of this Bill will have to be enforced by the Custom officers. Therefore, unless the enforcement machinery is efficient and honest we cannot expect the desired result. Therefore, the enforcement machinery required a thorough streamlining.

The powers being given to officers under this amending Bill are wide and these can be used indiscriminately. There is every reason to believe that innocent persons may fall victim to the designs of some unscrupulous officers. There is every need to tone up Government machinery but care should be taken to avoid misuse of power. Everything should not be left in the hands of the bureaucrats.

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar): I have received some information about the *modus operadi* of smuggling. When a ship goes to a foreign country, it is taken to a yard under the pretext of repairs and foreign goods are loaded in it. When the ship comes back the smuggled goods are unloaded in our yards. This is done in league with the officers. Such ships should be checked before being taken to yards.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : संसद् सदस्यों ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर जो टिप्पणियां की हैं उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अन्तिम वक्ता श्री मूल चन्द डागा ने बहुत प्रभावी तर्क दिये हैं और बताया है कि भ्रष्ट सीमा शुल्क अधिकारियों के कारण उतना कार्य नहीं हुआ है जितना किया जाना चाहिए था और मंत्री महोदय दूरदर्शन तथा टेलीविजन कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। सीमा शुल्क अधिकारियों को बहुत अधिकार प्राप्त हैं। नौकरशाही का बोलबाला है।

इसके अतिरिक्त मुझे किसी भी ऐसे निरोधात्मक नजरबन्दी नियमों का पता नहीं जिनमें शक्ति अधिकारियों को न दी जाती हो। भारत रक्षा नियम एवं आंसूका में भी शक्तियां अधिकारियों को दी गई हैं। आंसूका में शक्तियां जिला मजिस्ट्रेटों को दी गई हैं जबकि वर्तमान व्यवस्था में शक्तियां सचिवों अथवा संयुक्त सचिवों को दी जायेंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें क्या बुराई है।

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के बारे में शंका उठाई गई है। पिछले दो सप्ताह में 500 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। 339 को सेवा स्थानान्तरित किया गया, 178 को अवधि से पूर्व सेवा निवृत्त होने को कहा गया है। 39 अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

श्री एच० के० एल० भगत: (पूर्व दिल्ली): स्थानान्तरण कोई सजा नहीं है ऐसा न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : तस्करी वाले क्षेत्रों से बाहर स्थानान्तरण प्रभाव डालता है।

सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है मैंने तो उसके आंकड़े बताये हैं।

Shri Pannalal Barupal: In how many cases officers were sent to jail and the number of those whose property has been confiscated?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मेरे लिये यह बताना अत्यन्त कठिन है। यह बात सच नहीं है कि सरकार अपनी कमियों के कारण लज्जित है। यह सच नहीं कि हम तस्करों को केवल जेल में रख रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे, जिनकी सत्यनिष्ठा सन्देह में है।

मैं सदस्यों का ध्यान दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि यदि दस आरोपों में से एक भी आरोप अप्रसांगिक अथवा निराधार है और शेष नौ

आरोप विश्वसनीय हैं तो भी व्यक्ति को रिहा किया जाना चाहिए। कुछ आरोपों के विश्वसनीय तथा कुछ के निराधार होने पर भी न्यायालय को ऐसे व्यक्तियों को रिहा करने का अवसर न मिले, इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। इस मामले पर विधि विदों को भी सन्देह है। गुजरात उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचा है कि एक कारण के निराधार होने पर अन्य कारणों के कारण भी नजरबन्द रखा जा सकता है। इसलिये इस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं हो सकता। संसद् सदस्य दोषी अधिकारियों के मामलों में तुरन्त कार्यवाही की सिफारिश कर सकते हैं। यदि हम संविधान के अनुच्छेद 22 को समाप्त कर दें तो हम इस बारे में स्थायी व्यवस्था कर सकते है।

अभी हम ने इस नियम को 26-6-75 से लेकर एक वर्ष के लिये ही लागू किया है परन्तु इस सभा के समक्ष एक और विधेयक लाकर सरकार इसकी अवधि बढ़ा सकती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा छः-सात व्यक्तियों के छोड़े जाने के कारण यह नहीं समझा जाना चाहिए कि सरकार ने तस्करी रोकने की अपनी सारी गतिविधियां ही समाप्त कर दी हैं। 19 दिसम्बर, 1974 के अधिनियम के अंतर्गत 527 नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये थे। उसके बाद 19 जुलाई तक 1242 नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये। नजरबन्दी के मामलों की संख्या काफी बढ़ गई है।

फरार व्यक्तियों की संख्या 311 है। जो 109 व्यक्ति दो सप्ताह से अधिक समय से फरार थे उनकी सम्पत्ति की जब्ती के आदेश दिये गये हैं। सभी प्रदत्त शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है, और हम सभी तस्करों को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। परन्तु विदेशी वस्तुओं की अधिक उपयुक्तता एवं सस्तेपन के कारण इसमें पूरी सफलता नहीं मिल पा रही।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपातकाल में तस्करी की वस्तुएं बाजार में न बिकें।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : 6 जून, 1975 को हम ने यह हिदायतें भी दी थीं कि तस्करी का जब्त किया गया माल सहकारी समितियों को भी बिक्री के लिये नहीं दिया जायेगा केवल वही चीजें दी जायेंगी जो खराब होने वाली होंगी, अर्थात् मिल्क पाउडर, चौकलेट और सिगरेट इत्यादि।

भारत–नेपाल सीमा पर कुछ गायें और बकरियों को भी पकड़ा गया है। खराब न होने वाली वस्तुओं के बारे में हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। बाद में हम इस बारे में निर्णय लेंगे। 75 करोड़ के तस्करी माल का निपटारा एक समस्या बन गया है, क्योंकि यदि हम उसे कम मूल्य पर निर्यात भी कर दें तो तस्कर लोग व्यवस्थित होकर उसे पुनः खरीद लेंगे।

श्री वसन्त साठे : यह कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: राज्य व्यापार निगम ने इंकार कर दिया है फिर भी हम चेष्टा कर रहे हैं।

वस्त्र ही नहीं हीरों के निर्यात में भी कठिनाई है। क्योंकि इसके लिये वे विशेषज्ञों का विकास नहीं कर पाये।

माल का निपटान करते समय सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्रमाणपत्रों का प्रयोग कर तस्करी के सामान के लिये उसे माध्यम न बनाया जा सके। इस उद्देश्य से हमने यात्रा में माल

ले जाने के नियमों में भी परिवर्तन किया है। वर्तमान कानून के अन्तर्गत हमने आदेश जारी किये हैं कि 500 रुपए से अधिक का माल लाने नहीं दिया जायेगा चाहे वे इस पर जुर्माना देने को भी तैयार हों।

अतः इस प्रकार की कार्यवाहियों द्वारा तस्करी की गतिविधियों में कमी करना सम्भव हो सका है। आपातकालीन स्थिति तथा इस कानून के भय से ऐसा हो सका है। यदि हम इसका उपयोग कर सके और अपने संगठन को सुचारु रूप से चला सकें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

अधिक छापे मारने पर भी अब कम माल पकड़ा जाता है। इससे प्रकट होता है कि तस्करी का माल बाजार में कम मात्रा में आता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा की जायेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

Shri Ramavatar Shastri (Patna): We almost all support this Bill. When Bill in this regard was brought here in 1974 one party demanded that smugglers may not be allowed to go out. They may severely punished and their properties may be confiscated. Smuggling is greatest curse on our economic set up.

If the officers who have to implement these laws do not act in the proper way this would go in the purpose of this measure will be defeated. I again warn you to implement it with full force.

I knew a smuggler of Begusarai, Bihar, who has escaped to Nepal The Government has announced a reward of rupees one lakh for his arrest. He succeeded to run away as some Minister is protecting him. This is a matter of shame for the Congress. The party talks of socialism and fighting fascism but if its members continue to protect the smugglers how can it achieve it's goals?

A Custom Inspector was caught smuggling at Jai Nagar on Nepal border but the District Magistrate did not take any action against him but on the other hand punished those people who caught the Custom Inspector. The Government should investigate the matter.

It is said that East and West Hotel of Bangalore is owned by Hazi Mastan. Has the Government investigated the matter. If it is a fact the Hotel should be taken over by the Government.

The Officers of Bihar Government engage themselves in malpractices. Large scale smuggling of rice and cloth takes place on Nepal—Bihar border. Smugglers of Nepal and India have shops for selling smuggled goods in each others country. These shops should be taken over by the Government.

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसे मैंने नोट कर लिया है। भारत नेपाल सीमा की समस्या से सरकार परिचित है। और सरकार ने केन्द्रीय कलक्टरी का निर्माण किया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वित्त (संशोधन) विधेयक, 1975

FINANCE (AMENDMENT) BILL, 1975

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्त अधिनियम, 1975 का संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रधान मन्त्री ने 1 जुलाई, को राष्ट्र के नाम प्रसारित सन्देश में घोषणा की थी कि सरकार ने आयकर की छूट सीमा 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करने का निर्णय किया है। यह विधेयक इसी निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये लाया गया है।

इस विधेयक द्वारा हिन्दू अविभक्त परिवारों की आय में से आयकर की कटौती करने तथा 1975-76 के वित्तीय वर्ष में अग्रिम कर की अदायगी से सम्बन्धित वित्त अधिनियम, 1975 में उल्लिखित दर सूचियों को संशोधित करने के लिये लाया गया है।

नई दर सूची में 8000 रुपये आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। आयकर छूट सीमा बढ़ने के फलस्वरूप अधिक आय वाले करदाताओं को दिये जाने वाले लाभ सीमा को सन्तुलित करने की दृष्टि से 8001 से 15,000 रुपए तक की आय पर 17 प्रतिशत आयकर निर्धारित किया जा रहा है। जहां 8000 रुपये तक की आय वाले करदाताओं को 264 रुपए राहत मिलेगी। इससे अधिक आय पर राहत घटती जायेगी और 15,000 पर राहत 41 रुपये रह जायेगी।

6000 रुपये से अधिक कर योग्य आय वाले एक सदस्य वाले परिवार के व्यक्तियों से अधिक कर लिया जाता है। पहले उन हिन्दू अविभक्त परिवारों पर, जिनमें कम से कम एक व्यक्ति की कर योग्य आय 8000 रुपये से अधिक है पर अधिक आयकर लगाने का प्रस्ताव है। 8001 से 15000 रुपए तक 20 प्रतिशत आयकर निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

कृषि आय सहित गैर-कृषि आय पर आंशिक समेकित कराधान योजना इस समय उस हिन्दू अविभक्त परिवारों के लोगों पर लागू है जिनकी गैर कृषि आय 6000 रुपये से अधिक है। छूट सीमा बढ़ाने से विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि यह योजना उन करदाताओं पर लागू होगी जिनकी कृषि आय 8000 रुपए से अधिक है।

कर निर्धारण वर्ष 1974–75 अर्थात् वित्तीय वर्ष 1974–75 तथा अन्य तदनुरूपी लेखा वर्ष के दौरान अर्जित आय से सम्बन्धी दर सूची में परिवर्तन न करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों से एक वर्ष में लगभग 21 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 1975–76 में लगभग 12.6 करोड़ की हानि होगी।

15 जून को दिये गये अग्रिम कर में हुई अधिक अदायगी का समायोजन 15 सितम्बर, 1975 को किया जा सकेगा।

आयकर की छूट सीमा बढ़ाने से निम्न वर्ग के करदाताओं को कुछ राहत मिलेगी। आशा है इस विधेयक को सदन के बहुमत का समर्थन मिलेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्त अधिनियम, 1975 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 24 जुलाई, 1975/2 श्रावण, 1897 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 24, 1975/Sravana 2, 1897 (Saka)

GMGIPND—LS III—1263(Ai) LS D. 22-9-75.

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 274 (9)
DATE 23-9.75

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].